सूचना का अधिकार और पंचायती राज संस्थाएँ: एक केस स्टडी के रुप में उत्तर प्रदेश

www.humanrightsinitiative.org

...सूचना का अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है कि पंचायती राज संस्थाएँ भागीदारी को बढ़ाने और जवाबदेह सरकार को संस्थापित करने में अपने लक्ष्यों को ज्यादा प्रभावी तरीके से हासिल करें।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव

कॉमनवेल्थ देशों में मानवाधिकारों को व्यावहारिक धरातल पर साकार करने के लिए कार्यरत

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.) एक स्वतंत्र, गैर–राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका कार्यादेश कॉमनवेल्थ के देशों में मानवाधिकारों को व्यावहारिक धरातल पर साकार रूप देना है। 1987 में कॉमनवेल्थ के कई संघों ने मिल कर सी.एच.आर.आई की स्थापना की थी। उनकी मान्यता थी कि जहां कॉमनवेल्थ ने सदस्य देशों को काम करने के लिए साझा मूल्य संहिता और कानूनी सिद्धांत और मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच प्रदान किया, वहीं दूसरी ओर कॉमनवेल्थ के भीतर मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं रहा है।

कॉमनवेल्थ के हरारे सिद्धांतों, सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानवाधिकार दस्तावेजों के साथ–साथ कॉमनवेल्थ के सदस्य राज्यों में मानवाधिकारों को समर्थन देने वाले घरेलू दस्तावेजों के प्रति जागरुकता तथा पालना को बढ़ावा देना सी.एच.आर.आई. के उद्देश्य हैं। अपने प्रतिवेदनों तथा नियतकालिक जांचों के जरिए सी.एच.आर.आई. कॉमनवेल्थ देशों में मानवाधिकारों की प्रगति और उनके उल्लंघनों की ओर निरंतर ध्यान आकर्षित करता है। मानवाधिकारों के उल्लंघनों की रोकथाम करने के लिए पद्धतियों और उपायों हेतु पैरवी करते हुए सी.एच.आर.आई. कॉमनवेल्थ सचिवालय, सदस्य सरकारों तथा नागरिक समाज के संघों को संबोधित करता है। अपने जन शिक्षण कार्यक्रमों, नीतिगत संवादों, तुलनात्मक अध्ययन, पैरवी और नेटवर्किंग के जरिए सी.एच.आर.आई. का समूचा रुख अपनी प्राथमिकता के मुद्दों के गिर्द एक उत्प्रेरक के रूप में काम करने का है।

सी.एच.आर.आई. के प्रायोजक संगठनों * की प्रकृति इसे अपनी राष्ट्रीय उपस्थिति बनाने और एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में काम करने में समर्थ बनाती है। ये पेशेवर संगठन स्वयं अपने काम में मानवाधिकार मानदंडों का समावेश कर सार्वजनिक नीति को भी दिशा दे सकते हैं और मानवाधिकारों संबंधी सूचनाओं, मानदंडों और व्यवहारों के प्रसार के वाहकों के रूप में काम कर सकते हैं। ये समूह अपने साथ स्थानीय ज्ञान भी लाते हैं, नीति निर्माताओं तक पहुंच बना सकते हैं, मुद्दों को उभार सकते हैं और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए साथ मिल कर काम कर सकते हैं। सी.एच.आर.आई. नई दिल्ली, भारत में स्थित है और लंदन (यूके), आक्रा (घाना) में इसके कार्यालय हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति : सैम ओकुडजेटो – अध्यक्ष, सदस्यः यूनिस बूकमैन–अमीसाह, मरे बर्ट, यश घई, माया दारूवाला, एलिसन डक्सबरी, बी. जी. वर्गीस, ज़ोहरा यूसुफ़, नेविल लिंटन।
कार्यकारी समिति : बी. जी. वर्गीस – अध्यक्ष; माया दारूवाला – निदेशकः सदस्यः के. एस. ढिल्लों, आर. वी. पिल्लई, अनु आगा, डॉ. बी. के. चन्द्रशेखर, भगवान दास, हरिवंश, संजय हजारिका, पूनम मुट्टरेजा, प्रो. मूलचंद शर्मा, जस्टिस रूमा पाल, नितिन देसाई।

* कॉमनवेल्थ पत्रकार संघ, कॉमनवेल्थ अधिवक्ता संघ, कॉमनवेल्थ विधिक शिक्षा संघ, कॉमनवेल्थ संसदीय संघ, कॉमनवेल्थ प्रेस यूनियन और ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन।

डिजाइन, लेआउट : प्रिन्ट वल्ड; मुद्रकः प्रिन्ट वर्ल्ड, 9810185402, 9953041490

आईएसबीएनः 81–88205–57–5

कॉपीराइट © सी.एच.आर.आई, नई दिल्ली, जुलाई 2008 इस रपट की सामग्री को स्रोत का उल्लेख करते हुए इस्तेमाल किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश वॉलेण्टरी एक्शन नेटवर्क

प्रदेश के समान विचारधारा वाले स्वैच्छिक संगठनों के बीच एक व्यापक आधार के राज्यस्तरीय साझा मंच के रूप में ''उ०प्र० वॉलेण्टरी एक्शन नेटवर्क'' वर्ष, 1991–92 से लखनऊ में सक्रिय है। प्रदेश में स्वैच्छिक कार्य हेतु सौहार्द्रपूर्ण और उपयुक्त माहौल बनाने में उपवन की प्रमुख भूमिका रही है।
आज अपने 241 सदस्य संगठनों के साथ यह साझा मंच नागरिक समाज के अन्य समूहों को भी साथ लेकर राज्य के 54 जिलों में सामाजिक विकास व परिवर्तन के लिए प्रेरणास्पद माहौल बनाने में लगा हुआ है। इसके सतत् प्रयास से समाज में तथा राज्य के प्रशासनिक क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्यो की पहचान बढ़ती जा रही है तथा उनकी आवाज बुलंद हुई है। उपवन के सदस्य संगठन आज समाज के पिछड़े, वंचित तथा गरीब वर्ग के लोगो में सकारात्मक बदलाव लाकर स्वैच्छिक कार्यक्षेत्र की सम्मानजनक पहचान अलग से बनाते जा रहे हैं। उपवन के सामूहिक प्रयास से सदस्य संगठनों के बीच आपसी सहयोग, मान–सम्मान तथा वैचारिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला है।

वस्तुतः उपवन के गठन की अवधारणा के पीछे समाज को तोड़ने वाले ऐतिहासिक घटनाक्रम (1991–92) के जवाब में सामाजिक सदभाव, सौहार्द और सहिष्णुता के लिए हुआ था। बाद के वर्षो में इसका क्रमिक विकास इसके सदस्य संगठनों द्वारा समता, सहभागिता, लोकतांत्रिक क्रियाकलाप, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं अनुभवों के अदान–प्रदान के आधार पर हुआ। संस्थागत विकास के क्रम में आज उपवन का नजरिया (विजन) ''समतामूलक, स्वावलम्बी, शोषणमुक्त, सशक्त एवं सर्वधर्म सम्भाव'' की मान्यताओं पर आधारित समाज है।

तेजी से बदलते सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य में इसका मिशन ''सामाजिक परिवर्तन से जुड़े एवं प्रयासरत स्वैच्छिक समूहों व नागरिक समाज संगठनों के प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए ऐसे माहौल का सृजन करना है जिसमें समाज के गरीब, वंचित व हाशिये पर छूटे समूहों को प्रभावित करने हेतु उनकी आवाज बुलंद हो सके।''
उपवन द्वारा अब तक के कार्य प्रयासों से हुई उपलब्धियों के चलते उ0प्र0 के स्वैच्छिक क्षेत्र निम्नलिखित संभावनाओं में वृद्धि हुई हैः–

- वैश्वीकरण के परिदृश्य में स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच राज्य, राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी संबंध;
- स्वैच्छिक संगठनों के बीच साझा मंच के प्रति अभिरूचि और आस्था;
- विकास के मुद्दों को लेकर स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर पिछड़े व दलित वर्ग तक पहुंच;
- स्वैच्छिक जगत की लोकप्रियता हेतु सम सामयिक मुद्दों को लेकर सक्रिय एडवोकेसी (जनपैरवी) कार्यप्रणाली;
- सामाजिक परिवर्तन एवं विकास से संबंधित मुद्दों की सूचना के संकलन, अभिलेखीकरण, तथा व्यापक वितरण की कुशल कार्य प्रणाली का विकास तथा उपवन की बातें व हमारी पैरवी का नियमित प्रकाशन।

आज नागरिक समाज के अन्य समूहों से उपवन का जुड़ाव इस प्रकार बनता और बढ़ता जा रहा है, जिससे समाज और सरकार के बीच स्वैच्छिक संगठनों की विश्वसनीयता और हस्तक्षेप में वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में उपवन की गतिविधियों को चलाने के लिए एडवोकेसी व लॉबिंग; नेटवर्किंग व एलॉयंस बिल्डिंग तथा सूचना संकलन व प्रसार संबंधी चार संदर्भ इकाईयाँ सक्रिय हैं। संस्थागत सहयोग के चलते इन दिनों उपवन की सभी इकाईयाँ कम्प्यूटरीकृत हैं तथा संचार की नवीन कार्य प्रणालियों से युक्त हैं। इस कार्य प्रणाली को विकसित करने में, निरंतर प्रयास जारी है।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव

सी.एच.आर.आई. मुख्यालय
बी–117, प्रथम तल
सर्वोदय एन्क्लेव,
नई दिल्ली – 110 017, भारत
फोनः +91–11–2685–0523, 2686–4678
फैक्सः +91–11–2686–4688
ईमेलः chriall@nda.vsnl.net.in

सी.एच.आर.आई. लंदन कार्यालय
c/o इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमनवेल्थ स्टडीज
28, रसेल स्क्वेयर
लंदन WC1B 5DS, UK
फोनः +44–020–7–862–8857
फैक्सः +44–020–7–862–8820
ईमेलः chri@sas.ac.uk

सी.एच.आर.आई. अफ्रीका कार्यालय
मकान नं. 9, सामोरा मिशैल मार्ग,
बेवरली हिल्स् होटल के सामने,
ट्रस्ट टावर्स के पास, असायलम डाऊन,
फोनः+233–21–683068,69,70
फैक्सः +233–21–683062
ईमेलः chriafrica1@yahoo.com

UPVAN

उ० प्र० वॉलेण्टरी एक्शन नेटवर्क
10 सत्यलोक कालोनी, मोहिबुलापुर, मढिआओ,
लखनऊ – 226021
फोन/फैक्स : 0522–2361563, 2732267
ईमेल : info@upvan.org

www.upvan.org

वेबसाइटः **www.humanrightsinitiative.org**

सूचना का अधिकार
और पंचायती राज संस्थाएँ:
एक केस स्टडी के रूप में उत्तर प्रदेश

लेखिका
सोहिनी पॉल

संपादन
वेंकटेश नायक
जे.एन. सिंह
प्रतीक पाण्डेय

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव
और
उत्तर प्रदेश वालेन्टरी एक्शन नेटवर्क
2008

विषय सूचि

भूमिका 1

भाग 1: उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएँ 3

ग्राम सभा 4

ग्राम पंचायत 4

न्याय पंचायत 5

क्षेत्र पंचायत 6

जिला पंचायत 7

भाग 2: पंचायत स्तर पर संबंधी कानूनों का सारांश 9

सूचना का अधिकार 9

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 10

भाग 3: ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना का खुलासा 22

ग्राम सभा की बैठकों में स्वतः खुलासा 22

ग्राम पंचायतों की बैठकों में स्वयमेव खुलासा 23

कर लगाने के संबंध में ग्राम पंचायत का स्वतः खुलासा 24

ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की स्वतः घोषणा 25

ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले विभिन्न प्रकार के अभिलेखों की स्वतः घोषणा 28

ग्राम पंचायतों एवं न्याय पंचायतों के अभिलेख रखे जाने का स्थान 29

न्याय पंचायतों की बैठकों के सम्बन्ध में अधिसूचना 29

ग्राम निधि 29

भाग 4: क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा प्रकटीकरण 32

सदस्यों द्वारा जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों के कार्यों एवं पंजिकाओं का निरीक्षण 32

अधिनियम, नियमों एवं आकलन सूचि की स्वतः घोषणा 32

क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों द्वारा अन्य विषयों में स्वतः घोषणा 33

सरकारी अधिकारियों से सूचना देने की अपेक्षा 34

भाग 5: आवेदन करने पर सूचना तक पहुँच 36

ग्राम पंचायतों एवं न्याय पंचायतों के अभिलेखों का निरीक्षण करना व उनकी प्रतियाँ प्राप्त करने की प्रक्रिया 36

लम्बित न्यायिक अभिलेखों का रख – रखाव 37

भाग 6: पंचायत निर्वाचन के दौरान स्वतः घोषणा 38
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का प्रकाशन 38
मतदाता सूची का प्रकाशन 38
मतदाता सूची का रख–रखाव और संरक्षण 39
ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के निर्वाचन की सूचना एवं दिनांक का निर्धारण एवं प्रकाशन 39
क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष की निर्वाचन सूचना का प्रकाशन 39
त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के मतदान की सूचना का प्रकाशन 40
निर्वाचन संबंधी कागजों का निरीक्षण 40

निष्कर्ष 41

परिशिष्ट 1–10 42

भूमिका

भारत में पंचायती राज संस्थाएं आम लोगों की उनके अपने शासन में भागीदारी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए सरकार के विकेन्द्रित करने के देश में विकसित हुआ एक प्रयास है। 1992 में भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुयी।[1] जिसके परिणाम स्वरुप ग्रामीण क्षेत्रों में शासन का विकेन्द्रीकरण हुआ। भारतीय संविधान के भाग 9 में इसे शामिल किया गया। 24 अप्रैल 1993 को संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम प्रभाव में आया। एक वर्ष के अंदर ही ज्यादातर राज्यों ने इसके अनुरूप कानून बना लिये।

पंचायती राज संस्थाएं गांव, जनपद (ब्लॉक) और जिला स्तर पर काम करती हैं। आज देश भर में गाँव स्तर पर 2,30,030 ग्राम पंचायतें [2], विकास खण्ड स्तर पर 6053 मध्यवर्ती पंचायतें और 535 जिला पंचायतें है। तीनों स्तरों पर कुल लगभग 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनमें एक तिहाई महिला शामिल हैं।[3] सम्पूर्ण विश्व में, विकसित और विकासशील लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधियों की यह सबसे बड़ी संख्या है।

पंचायती राज संस्थाएं, ग्रामीणों को ग्राम नियोजन प्रक्रियाओं में भागीदारी करने, सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं में शामिल होने का एक व्यावहारिक अवसर देती है। साथ ही में उन्हें अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से सीधे संवाद–संपर्क करने का मौका भी देती हैं और इस तरह वे सुनिश्चित कर सकते हैं कि, उनके हितों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा रहा है और उनका धन सही तरीके से खर्च हो रहा है।

सिद्धांत में पंचायती राज संस्थाएं हालांकि बहुत अच्छी पहल है, लेकिन वास्तविकता उतनी अच्छी नहीं रही है। खराब प्रतिनिधित्व, अपने क्षेत्र के निवासियों द्वारा सहभागी तरीके से लिए गए फैसलों को लागू करने में असफलता और धनराशियों में हेराफेरी के कारण बहुत सी पंचायती राज संस्थाओं की आलोचना की गयी है। इस दिशा में सूचना का अधिकार यह तय करने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है कि, पंचायती राज संस्थाएं भागीदारी को बढ़ाने और जवाबदेह सरकार को स्थापित करने के अपने लक्ष्यों को ज्यादा प्रभावी तरीके से हासिल करे। पंचायत संस्थाओं में नागरिकों की भागीदारी तब और अधिक सार्थक होगी, जब लोगों के पास पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के लिए सूचनाएं होंगी और वे निर्णय प्रक्रियाओं में अफवाहों या आधे सच के आधार पर नहीं बल्कि वास्तविक तथ्यों के आधार पर भाग लेंगे।

---

[1] इस संवैधानिक संशोधन में पंचायतों को संघीय व्यवस्था में प्रशासन का तीसरा स्तर कहा गया है, संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 1992 असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर के अनुसूची–जाति एवं जनजाति अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू नहीं है। यह संशोधन जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू नहीं है।

[2] पंचायत एक परम्परागत शब्द है, जिसका अर्थ ग्राम के पांच वयोवृद्ध व्यक्तियों का समूह है जो झगड़ों का निपटारा करते थे और उनका निर्णय सामूहिक निर्णय माना जाता था। संविधान के 73वें संशोधन ने पारंपरिक पंचायत शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसके अर्थ में व्यापक व्याख्या आ गई है कि इसका प्रयोग 73वें संशोधन अधिनियम में स्थानीय स्वशासन की त्रि–स्तरीय व्यवस्था के रूप में किया गया है जिसकी शीर्षस्थ संस्था जिला पंचायत है। निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत है जिसमें एक या एक से अधिक गांव होते हैं। गांव के सभी वयस्क सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, जो लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। इन दोनों के बीच में मध्यवर्ती इकाई के रूप में क्षेत्र पंचायत होती है। इन पंचायतों की शक्तियों का उल्लेख राज्यों के अधिनियमों में किया गया है।

[3] पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिसम्बर 2007 में आयोजित सातवीं गोलमेज कांफ्रेंस।

व्यवहार में सूचना का अधिकार लोगों को आवेदन करने पर पंचायती राज संस्थाओं के पास मौजूद सूचनाओं तक पहुंच बनाने का एक साधन ही नहीं प्रदान करता, बल्कि स्वयं पंचायतों का भी यह कर्त्तव्य है कि, वे महत्वपूर्ण सूचनाओं का अपनी पहल पर सार्वजनिक करें। उदाहरण के लिए, ग्राम सभा की बैठकों में सूचनाओं का आदान–प्रदान करने, सूचना–पटल पर सूचनाओं को प्रदर्शित करने, गांव में लाउडस्पीकर के जरिए या सरकारी गजट या स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशन के द्वारा।

जनता के द्वारा सूचना का अधिकार से संबंधित कानूनों के उपयोग के बारे में काफी लेखन पहले ही हो चुका है। अतः य पुस्तिका, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम और संबंधित नियमों में शामिल सूचना का सार्वजनिक करने के प्रावधानों का विश्लेषण करने और उन्हें आगे बढ़ाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करती है। इस दस्तावेज को तैयार करते हुए निम्न अधिनियमों एवं नियमों को संदर्भ बनाया गया है:–

- उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947;
- उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियम, 1947;
- उत्तर प्रदेश पंचायत (पिछड़े वर्ग की संख्या का निर्धारण व प्रकाशन) नियम, 1994;
- उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रादेशिक निर्वाचन क्षत्रों का परिसीमन) नियम, 1994;
- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961;
- उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों एवं उप प्रधानों का निर्वाचन) नियम, 1994;
- उत्तर प्रदश पंचायत राज (मतदाता निबंधन) नियम, 1994;
- उत्तर प्रदश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियम, 1994;
- उत्तर प्रदश क्षत्र पंचायत (प्रमुखों एवं उप प्रमुखों का निर्वाचन एवं निर्चाचन विवादों का निपटारा) नियम, 1994;
- उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा निर्वाचन संबंधी विवादों का निप्टार), नियम 1994।

आशा है कि, सूचनाएं हासिल करने के लिए स्वयं इन कानूनों का उपयोग करने के इच्छुक नागरिकों, पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों; जनता को सूचनाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में अपनी भूमिकाओं और कर्त्तव्यों के प्रति अधिक जागरुक हो सकने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों और सूचनाओं को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अपनी भूमिकाओं के प्रति अधिक जागरुक हो सकने वाले सरकारी अधिकारियों के लिए इन प्रावधानों का संकलन एक उपयोगी स्रात पुस्तिका का काम करेगा।

भाग 1 : उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं

2001 की जनगणना के अनुसार, 16.62 करोड़ आबादी वाला उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2,40,928 वर्ग कि.मी. में विस्तारित इस राज्य का देश के कुल क्षेत्रफल में 7.3 प्रतिशत हिस्सा शामिल है, जो इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 5 वां बड़ा राज्य बनाता है। राज्य की लगभग 79 प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर गांव छोटे हैं, जिनकी औसत आबादी 3,194 व्यक्ति प्रति पंचायत है।[4] उत्तर प्रदेश का विभाजन वर्ष 2000 में हुआ, फलस्वरुप कुमाँयु एवं गढ़वाल क्षेत्रों को मिलाकर "उत्तरांचल" नाम से एक नया पर्वतीय प्रदेश बन गया, जिसका हाल ही में नाम बदलकर "उत्तराखंड" हो गया है।

उत्तर प्रदेश में त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, जिससे लोगों को शासन के करीब लाया जा सके। उत्तर प्रदेश में गांव स्तर पर करीब 52,000 ग्राम पंचायतें हैं, जिसके अंतर्गत 97,134 आबाद गांव आते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर 813 क्षेत्र पंचायतें तथा जिला स्तर पर 70 जिला पंचायतें हैं। 70 जिलों[5], को 17 संभाग में बांटा गया है।[6] इसके अतिरिक्त, पंचायत राज व्यवस्था की आधारभूत इकाई के रुप में ग्राम सभा विद्यमान है।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, प्रदेश शासन द्वारा पहला ग्राम पंचायत अधिनियम वर्ष 1920 में बनाया गया था। जिसके अंतर्गत, सामाजिक एवं आपराधिक मामलों में न्याय की व्यवस्था हेतु ग्राम स्तरीय इकाईयां स्थापित की गईं थीं। इसके साथ ही, इनका काम सफाई एवं गांव के अन्य कार्यों में भी सुधार लाना था। इनके पंचों की नियुक्ति जिलाधीश द्वारा की जाती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, राज्य सरकार द्वारा संयुक्त प्रांत[7] पंचायत राज अधिनियम, 1947 पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा, ग्राम प्रधान के निर्वाचन का प्रावधान किया गया, साथ ही पंचायत की शक्तियों एवं कार्यों का भी विस्तार भी किया गया। पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत, तीन निकायों गाँव सभा, गाँव पंचायत और पंचायत अदालत (विवादों के निपटारे के लिए) की रचना की गयी। दो प्रमुख फसलों की कटाई के बाद, वर्ष में दो बार गाँव सभा की बैठक आयोजित करने का प्रावधान किया गया और जिसमें पंचायत के बजट को भी पारित किया जाना शामिल था। ये दो तिहाई बहुमत के साथ गाँव पंचायत के प्रधान और उप–प्रधान को हटा भी सकती थी। गाँव पंचायत के सदस्य का निर्वाचन गाँव सभा के सदस्यों द्वारा तीन वर्ष के लिए किया जाता था।

अन्य भारतीय राज्यों के विपरीत, उत्तर प्रदेश द्वारा 73 वें संविधानिक संशोधनों के अनुरुप नया पंचायती राज अधिनियम नहीं बनाया गया बल्कि, पूर्व से ही लागू दो अधिनियमों, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947[8] और "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एंव जिला परिषद अधिनियम, 1961" में 73 वें संशोधन के

[4] वेबसाइट: http://planning.up.nic/articles/poverty_alleviation_through_pri.pdf

[5] सत्तर जिले : सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, ज्योतिबा फुले नगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, बदायूँ, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोन्डा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, संतरविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र।

[6] 17 संभाग सम्मिलित क्षेत्र: आगरा, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, फैजाबाद, बरेली, बस्ती, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर।

[7] 12 जनवरी, 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया।

[8] यह अधिनियम संयुक्त प्रांत विधान सभा एवं संयुक्त प्रांत विधान परिषद द्वारा क्रमशः 6 जून, 1947 तथा 18 सितम्बर, 1947 द्वारा पारित किया गया एवं भारत सरकार के गवर्नर जनरल द्वारा 7 दिसम्बर, 1947 को हस्ताक्षरित किया गया तथा 27 दिसम्बर 1947 को गजट में प्रकाशित किया गया।

अनुरुप संशोधन किया गया। इस प्रकार से संशोधित अधिनियम 22 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। इस संशोधित अधिनियम के अंतर्गत, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम रही। गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत जनपद स्तर पर क्षत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत।

ग्राम सभा

पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर आम लोगों को सशक्त करना है, जिससे वे विकास प्रक्रिया में सहभागिता करें। ग्राम सभा, गांव के सभी योग्य मतदाताओं की एक सभा है। इसे पंचायती राज संस्थाओं की आत्मा कहा गया है। ग्राम सभा जरुरतों के अनुसार यह तय करती है कि, ग्राम पंचायत द्वारा विकास के कौन–कौन से कार्य किए जाएंगे। ग्राम सभा की बैठकों में इसके सदस्य, ग्राम पंचायत के निर्णयों की समीक्षा कर सकते हैं और उन पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं तथा ग्राम पंचायत के बजट, वार्षिक वित्तीय लेखा–जोखा तथा व्यय पर विचार–विमर्श कर सकते हैं।

उत्तर प्रदश पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानां के अनुसार, राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा किसी ग्रान अथवा ग्रामों के समूह के लिए ग्राम सभा स्थापित करेगी। एक स अधिक गांव वाली सभा क नाम सबस अधिक जनसंख्या" वाले गांव के नाम पर रखा जाएगा। इस अधिसूचना के जारी होन के बाद प्रत्यक तहसील में गठित की गयी ग्राम सभाओं की सूची तहसील एवं जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में प्रकाशित की जानी चाहिए। इसकी एक प्रति पंचायत सचिव के कार्यालय में भी प्रदर्शित की जानी चाहिए।[10]

नियमानुसार प्रति वर्ष प्रत्येक ग्राम सभा की दो सामान्य बैठके होंगी। एक खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद (जिसे "खरीफ की बैठक" कहा जाता है, जो कि जनवरी–फरवरी माह में आयोजित की जाती है, सामान्यतः इस हेतु सरकार द्वारा 26 जनवरी की तिथि निर्धारित की गयी है) तथा दूसरी, रबी की फसल कटने के बाद (जिसे "रबी की बैठक" कहा जाता है, जो कि अगस्त माह में आयोजित की जाती है, इस हेतु सरकार द्वारा 15 अगस्त की तिथि निश्चित की गयी है)। इन बैठकों की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान द्वारा की जाएगी। ग्राम प्रधान किसी भी समय ग्राम सभा की असाधारण बैठक बुला सकता है। इस हेतु ग्राम सभा सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 1/5 सदस्यों की लिखित मांग पर 30 दिन के अंदर ग्राम प्रधान को ग्राम सभा की बैठक बुलानी होगी।[11]

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत एक निर्वाचित निकाय है, जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अपन बीच से गठित किया जाता है। जो कि, एक प्रधान और पंचां (9 से 15 सदस्य) को शामिल कर बनती हें। सदस्यों की संख्या किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या क आधार पर निम्न प्रकार स तय की जाएगी [12] :–

[9] धारा– 3 यू.पी. पंचायत राज अधिनियम, 1947
[10] नियम – 3 यू.पी. पंचायत राज अधिनियम, 1947
[11] धारा– 11(1) यू.पी. पंचायत राज अधिनियम, 1947
[12] धारा– 12 यू.पी. पंचायत राज अधिनियम, 1947

जनसंख्या	पंचों की संख्या
1000 की जनसंख्या तक	9
1000 से 2000 की जनसंख्या पर	11
2000 से 3000 की जनसंख्या पर	13
3000 से अधिक जनसंख्या पर	15

ग्राम पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत के एक सदस्य द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत में तैनात ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पांचायत का सचिव (सेक्रेटरी) होता है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अपने कार्यों के क्रियान्वयन के लिए निम्न समितियां गठित की जाएंगी :–

- ❖ **नियोजन एवं विकास समिति** : इसका कार्य ग्राम पंचायत की योजना तैयार करना तथा कृषि, पशुपालन एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना है;
- ❖ **निर्माण कार्य समिति :** सभी निर्माण कार्य करना एवं कार्य की गुणवत्ता तय करने का दायित्व;
- ❖ **शिक्षा समिति :** प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता संबंधी कार्य;
- ❖ **स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति :** चिकित्सा, स्वास्थ्य परिवार एवं समाज कल्याण, विशेषकर महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं का संचालन तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की उन्नति एवं संरक्षण;
- ❖ **प्रशासनिक समिति** : पंचायत कर्मियों एवं राशन की दुकान संबंधी समस्त कार्य;
- ❖ **जल प्रबंधन समिति** : राजकीय नलकूपों का संचालन एवं पेयजल व्यवस्था।

प्रत्येक समिति में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से किया जाता है। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष का चयन प्रधान, उप प्रधान अथवा पंचायत सदस्यों से होता है। प्रत्येक समिति में एक महिला सदस्य, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा एक पिछड़े वर्ग का सदस्य होता है।[13] पारदर्शिता की दृष्टि से ग्राम स्तर पर किये जाने वाले समस्त कार्य सम्बन्धित समितियों के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

न्याय पंचायत

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र[14] के लिए "न्याय पंचायत" की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 8135 न्याय पंचायतें हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत के सदस्यों (10–25) से मिलकर बनती है और पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों में से निम्न प्रकार से होता है :–

- ❖ दो ग्राम सभाओं वाली न्याय पंचायत में संबंधित ग्राम पंचायत से 5 पंचों की नियुक्ति की जाएगी;

[13] धारा – 28 यू.पी. पंचायत राज अधिनियम, 1947

[14] न्याय पंचायतों की स्थापना के लिये प्रत्येक जिले को क्षेत्रों (सर्कलों) में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र में एक न्याय पंचायत स्थापित की जाती है।

- ❖ तीन ग्राम सभाओं वाली न्याय पंचायत में संबंधित ग्राम पंचायत से तीन सदस्य नियुक्त किए जाएंगे और शेष पंचों की नियुक्ति अधिकतम जनसंख्या वाली ग्राम सभा से की जाएगी;
- ❖ बारह से अधिक ग्राम सभाओं वाली न्याय पंचायत में प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक पंच ग्राम सभा से नियुक्त किया जाएगा और शेष पंचों की नियुक्ति प्रत्येक ग्राम सभा से जनसंख्या के आधार पर की जाएगी;
- ❖ अन्य सभी मामले में प्रत्येक ग्राम पंचायत से प्रारम्भिक तौर पर दो पंच अवश्य नियुक्त किए जाएंगे और शेष पंचों की नियुक्ति जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक ग्राम सभा से की जाएगी।

एक व्यक्ति जो 30 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और हिन्दी पढ़ना व लिखना जानता है, वह न्याय पंचायत का पंच नियुक्त किए जाने योग्य है।[15] न्याय पंचायत के प्रत्येक पंच का कार्यकाल उसकी नियुक्ति तिथि से प्रारम्भ होकर संबंधित ग्राम पंचायत (जहां से वह नियुक्त हुआ था) के कार्यकाल के साथ समाप्त होता है। जिलाधिकारी, निदेशक पंचायती राज से सलाह लेकर निम्न कार्य सुनिश्चित करेंगे :–

- ❖ जिला के अंतर्गत न्याय पंचायत स्थापित करने के लिए क्षेत्रों (सर्किल) की संख्या का निर्धारण;
- ❖ प्रत्येक क्षेत्र (सर्किल) की सीमा का निर्धारण।

इसके बाद, जिलाधिकारी द्वारा न्याय पंचायतों के लिए निर्धारित क्षेत्र (सर्किल) की सूची तैयार की जाएगी और इसे तहसील मुख्यालय, जिला पंचायत अधिकारी तथा पंचायत सचिव के कार्यालय में प्रदर्शित की जाएगी। इस प्रकार, प्रत्येक न्याय पंचायत के लिए निर्धारित पंचों की संख्या और प्रत्येक ग्राम पंचायत से पंचों की संख्या तय की जाएगी और इन कार्यालयों पर इसे प्रदर्शित किया जाएगा। अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि, पंच अपने बीच में से दो व्यक्तियों का सरपंच एवं सहायक सरपंच चुनेंगे। इन चयनित लोगों में कार्यवाही का लिखने की योग्यता होनी चाहिए। सरपंच को यह अधिकार दिया गया है कि वह न्याय पंचायत के मुकदमों की सुनवाई के लिए पांच व्यक्तियों की एक बेंच बना सकता है।

न्याय पंचायतों को दीवानी और फौजदारी के सभी मामलों को छह सप्ताह में निपटाने का दायित्व दिया गया है।[16] निश्चित क्षेत्र, जिसमें प्रतिवादी रहता है या काम करता है या घटना घटित होती है, का प्रत्येक दिवानी तथा फौजदारी मामला सरपंच के पास आना चाहिए। न्याय पंचायत द्वारा लिए जाने वाले फौजदारी अपराधों की सूची परिशिष्ट – 10 पर दी गई है। सभी मामलों की साप्ताहिक सूची वादी, प्रतिवादी के नाम एवं सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि सहित न्याय पंचायत कार्यालय के बाहर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

क्षेत्र पंचायत

प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्र को खण्डों (विकास खण्डों) में विभाजित किया गया है और प्रत्येक खण्ड में एक क्षेत्र पंचायत गठित की जाती है।[17] प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख, जो कि उसका अध्यक्ष होता है, एक उप–प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप–प्रमुख होते हैं, जिसका निर्वाचन क्षेत्र पंचायत के निम्नांकित सदस्यों द्वारा अपने बीच में से किया जाता है।[18] अन्य सदस्यों में शामिल है :–

[15] नियम – 85, यू.पी. पंचायत राज अधिनियम, 1947
[16] नियम – 83, यू.पी. पंचायत राज अधिनियम, 1947
[17] उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले को ग्रामीण क्षेत्र को खण्डों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक खण्ड का एक विशिष्ट नाम होता है। प्रत्येक विकास खण्ड में एक क्षेत्र पंचायत होती है जिसका नाम खण्ड के आधार पर रखा जाता है।
[18] धारा– 7 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961

(क) विकास खण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के सभी प्रधान;
(ख) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों[19] में निर्वाचित सभी सदस्य;
(ग) पूर्णतया या अंशतः विकास खण्ड क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा तथा लोक सभा के सदस्य;
(घ) उत्तर प्रदेश की राज्य सभा और विधान परिषद के ऐसे सदस्य, जो विकास खण्ड के अंतर्गत निबंधित मतदाता हैं।

खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और वह क्षेत्र पंचायत एवं उसकी समितियां के प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है।[20]

कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के उद्देश्य से निम्न समितियों गठित की जानी चाहिए[21] :—

- ❖ **नियोजन एवं विकास समिति** : यह समिति क्षेत्र पंचायत की योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगी। इसके अतिरिक्त यह कृषि, पशुधन तथा गरीबी निवारण संबंधी कार्य भी करेगी।
- ❖ **शिक्षा समिति** : इसका दायित्व प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता संबंधी कार्य रखा गया है;
- ❖ **निर्माण कार्य समिति** : निर्माण कार्य और उसकी गुणवत्ता निश्चित करना इस समिति का दायित्व है;
- ❖ **स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति** : इसका दायित्व चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है। इसके अतिरिक्त सामाजिक कल्याण, विशेषकर महिला एवं बच्चों की कल्याणकारी योजना बनाने का कार्य भी इस समिति का है;
- ❖ **प्रशासनिक समिति** : इसका दायित्व खण्ड स्तरीय कर्मचारियों का प्रशासन तथा राशन दुकानों का नियंत्रण करना है;
- ❖ **जल प्रबंधन समिति** : पेयजल एवं सिंचाई व्यवस्था का दायित्व इस समिति को सौंपा गया है।

  प्रत्येक समिति का कार्यकाल समिति की पहली बैठक के दिनांक से एक वर्ष का होगा, किंतु वह किसी भी दशा में क्षेत्र पंचायत के कार्यकाल से ज्यादा नहीं होगा;

जिला पंचायत

प्रत्येक जिले[22] के लिए एक जिला पंचायत का गठन किया जाता है और इसके संविधान को गजट में अधिसूचित किया जाता है।[23] प्रत्येक जिला पंचायत में शामिल होते हैं, एक अध्यक्ष, जो उसका पीठासीन अधिकारी होता है तथा :—

---

[19] निर्वाचन के लिए प्रत्येक क्षेत्र पंचायत को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है जिससे प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी जहां तक सम्भव हो दो हजार हो जानी चाहिए।
[20] खण्ड विकास अधिकारी को क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है।
[21] धारा 87—91 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961
[22] जिला प्रत्येक राजस्व मण्डल के अन्तर्गत एक प्रशासनिक इकाई है जहां पर निर्णयों को कार्यान्वित करने का साधन है और सरकारी योजनाओं के बीच एक जुड़ाव कायम करती है। अधिकतर राज्य सरकार विभाग अपने जिला कार्यालय को जिला मुख्यालय में स्थापित करते हैं।
[23] धारा — 17 (6) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961

(क) जिले की समस्त क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख;

(ख) जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों[24] से निर्वाचित सदस्य;

(ग) लोक सभा तथा विधान सभा के ऐसे सदस्य, जो संबंधित जिला पंचायत में शामिल क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं;

(घ) राज्य सभा एवं विधान परिषद के ऐसे सदस्य जो जिला पंचायत क्षेत्र के अंदर मतदाता के रुप में पंजीकृत हो।[25]

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच में से किया जाता है।[26]

प्रत्येक जिला पंचायत को अपने कार्यों के संपादन के लिए निम्न समितियां गठित करनी चाहिए:—[27]

- ❖ **नियोजन एवं विकास समिति** : इसे जिला पंचायत की योजना तैयार करने का दायित्व दिया गया है। इस के अतिरिक्त यह कृषि, पशुधन तथा गरीबी निवारण संबंधी कार्य भी करता है;
- ❖ **शिक्षा समिति** : इसका दायित्व प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता संबंधी कार्य करना है;
- ❖ **निर्माण कार्य समिति** : इस समिति को निर्माण कार्य का दायित्व दिया गया है;
- ❖ **स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति** : इसका दायित्व चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है। इसके अतिरिक्त सामाजिक कल्याण, विशेषतया महिला एवं बच्चों की कल्याणकारी योजना बनाने का कार्य भी इस समिति का है;
- ❖ **प्रशासनिक समिति** : जिला स्तरीय कर्मचारियों का प्रशासन तथा राशन दुकानों का नियंत्रण करना इस समिति का दायित्व है;
- ❖ **जल प्रबंधन समिति** : इसका कार्य पेयजल एवं सिंचाई व्यवस्था का रखा गया है।

निर्माण कार्य समिति के 3—6 सदस्यों का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है और इसमें अन्य समितियों के अध्यक्ष भी सम्मिलित होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस समिति के क्रमशः सभापति तथा उप—सभापति होते हैं। अन्य समितियों में 6—9 सदस्य होते हैं, जो कि, जिला पंचायत सदस्यों द्वारा स्वयं के बीच में से चुने जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कार्य समिति का कार्यकाल जिला पंचायत के कार्यकाल के समान होता है, हालांकि, इसके एक तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष चक्रानुक्रम से बदलते रहते हैं।

[24] निर्वाचन के उद्देश्य से प्रत्येक जिला पंचायत को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या यथा सम्भव 50,000 हो।
[25] धारा – 18 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत, अधिनियम, 1961
[26] धारा – 19 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत, अधिनियम, 1961
[27] धारा – [illegible] उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत, अधिनियम, 1961

भाग 2 : पंचायत स्तर पर सूचना का अधिकार संबंधी कानूनों का सारांश

सूचना का अधिकार

प्रत्येक लोक निकाय के पास रखी सूचनाओं तक नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करना ही, सूचना का अधिकार है। इसमें यह भी शामिल है कि, लोक निकाय ऐसी सारी सूचनाएं संकलित करते रहें और उन्हें नागरिकों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएं। किन्तु, यदि जनहित में सूचना देना उचित नहीं है, तो वे उसे देने से इनकार भी कर सकते हैं। सूचना का अधिकार का मूल आधार यही है कि, लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता द्वारा ही सरकार को अधिकार और शक्तियां प्रदान की जाती हैं और जनता के धन से ही सरकार का संचालन होता है। अतः प्रत्येक लोक निकाय का यह दायित्व है कि वे जनता के नाम पर किए जाने वाले कार्यों व निर्णयों के विषय में जनता को सूचित रखें।

वर्ष 1973 से अपने विभिन्न निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया है कि, लोक निकायों के पास उपलब्ध सूचना तक पहुँचने का नागरिकों का मूलभूत अधिकार है, जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त हमारे मौलिक अधिकार जीवन व स्वतंत्रता तथा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल तत्व है।[28] इसका अर्थ है कि, नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है कि, वे लोक निकायों के पास उपलब्ध सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। सूचना का अधिकार शासन पर एक सकारात्मक दायित्व भी तय करता है, कि वे आमजन तक सूचना का प्रसार भी करें। सामान्यतः शासन के पास उपलब्ध सूचना जनता को 2 प्रकार से उपलब्ध करायी जाती है :–

स्वतः : शासकीय निकायों से यह अपेक्षा की जाती है कि, जनहित से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं यथा संगठनात्मक ढांचा, उनके द्वारा दी जाने वाली समस्त सेवाएं, निर्णय लेने के मापदण्ड, महत्वपूर्ण प्रारुप एवं प्रक्रिया व इसी प्रकार के अन्य विवरण इत्यादि प्रकाशित व प्रसारित करें। इस प्रकार की सूचना का खुलासा सूचना पटल पर प्रदर्शन, सरकारी गजट या अखबारों में प्रकाशन या बैठकों में सूचनाओं को पढ़कर या इंटरनेट पर प्रकाशन द्वारा किया जा सकता है।

मांग किए जाने पर : जनता द्वारा मांगे किए जाने पर, विशेष प्रकार की सूचनाओं तक आमजन की पहुंच को सरल बनाने के लिए शासकीय निकायों द्वारा साधारण एवं कम खर्चीली प्रक्रिया तय की जानी चाहिए। सामान्य तौर पर, लोक निकायों में विशेष अधिकारियों को जनता को सूचना प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गयी है।

यह आवश्यक है कि, लोगों को पंचायतों से सूचना प्राप्ति का अधिकार हो, क्योंकि ये स्थानीय स्व शासन की इकाईयां हैं, जिनका लोगों से नज़दीक का संबंध है। वर्ष 1997 में इन स्थानीय स्वशासन इकाईयों से सूचना प्राप्ति को सरल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा पारदर्शिता के तीन बिंदुओं पर कार्यकारी आदेश पारित करने का विचार किया गया।[29]

---

[28] क्रमशः भारतीय संविधान का अनुच्छेद – 21 तथा 19 (1) क

[29] भारत की राज्य सरकारों में पारदर्शिता के विषय पर मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में वर्ष 1997 में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। यह सम्मेलन 24 मई, 1997 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

- ❖ पंचायती राज संस्थाएं, विशेषकर ग्राम पंचायतें विकास परियोजनाओं संबंधी सूचनाएं (मुख्यतः बजट तथा उनके व्यय संबंधी विवरण) पंचायत कार्यालय या स्थानीय स्कूल के बाहर प्रदर्शित करें;
- ❖ समस्त संबंधित अभिलेख निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहें;
- ❖ आमजन द्वारा मांग किए जाने पर विकास परियोजनाओं के अभिलेखों की छायाप्रति उपलब्ध हो (जिसमें बिल, मस्टर रोल, व्हाउचर, आंकलन और माप पुस्तिका तथा हितग्राहियों के चयन का आधार और उनकी सूची शामिल हो)। इसके अतिरिक्त जनहित संबंधी विषयों पर भी जानकारी मामूली शुल्क लेकर उपलब्ध करायी जाए।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मई 2005 में सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा और राज्य सभा द्वारा पारित किया गया। 15 जून 2005 को इस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुयी। राष्ट्रपति की स्वीकृति के 120 दिनों के पश्चात् अर्थात 12 अक्टूबर 2005 से यह अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। इस अधिनियम ने लोक प्राधिकरणों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक नागरिकों की पहुंच आसान बनाने की व्यावहारिक पद्धति की स्थापना की, जिससे प्रत्येक लोक प्राधिकरण में पारदर्शिता और जवाबदेहता सुनिश्चित हो सके।

यह किस पर और कैसे लागू होगा?

हालांकि, सूचना का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया है, किंतु इसके अंतर्गत न केवल सभी केन्द्रीय कार्यालय आते हैं बल्कि, राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश तथा उनके द्वारा वित्त पोषित सभी संस्थाएं एवं इकाईयां भी आती हैं।[9] यह अधिनियम उन सभी लोक प्राधिकरणों पर लागू होता है, जिन्हें संविधान के अंतर्गत स्थापित या गठित किया गया है या फिर जिसे संसद या राज्य विधान द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत स्थापित या गठित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि, पंचायती राज संस्थाएं जो भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत स्थापित की गई हैं, भी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। चूंकि, पंचायतें राज्य विधान मंडल द्वारा स्थापित की गई हैं, अतः ये दूसरे मापदण्ड को भी पूरा करती हैं।

सूचना का अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत 'लोक प्राधिकरण' की परिभाषा में स्वायत्त सभी संस्थाएं भी शामिल हैं (क्रमशः पंचायतें एवं नगर निकाय स्वायतशासी संस्थाएं कहलाती हैं) इस प्रकार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल हैं।

पंचायत राज अधिनियम (जिस पर भाग 3 में चर्चा की गयी है) के अंतर्गत सूचना तक पहुंच के प्रावधानों के साथ–साथ सूचना का अधिकार अधिनियम, स्थानीय निकायों से सूचना प्राप्त करने का एक दूसरा माध्यम है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नागरिक कार्यों, दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं, दस्तावेजों/अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां या उनसे उद्धरणों या टिप्पणीयों को प्राप्त कर सकते हैं, सामग्रीयों के प्रमाणित नमूने ले सकते हैं और इलेक्ट्रानिक रुप में भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं।[10]

[9] धारा– 2 (एच) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। जम्मू एवं कश्मीर को अनुच्छेद– 370 के अंतर्गत विशेष स्थिति के कारण जम्मू कश्मीर, इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
[10] धारा – 2 (जे) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

क्या सूचनाएं जो स्वतः प्रकाशित की जाएंगी ?

सूचना का अधिकार अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 4 (I) (ख) है, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि, पंचायतों सहित प्रत्येक लोक प्राधिकरण सूचना का नियमित प्रकाशन करते रहेंगे। धारा 4 (I) (ख) (जिसे "सूचना का स्वतः प्रकटीकरण" भी कहा जाता है,) यह भी अपेक्षा करती है कि, लोक प्राधिकरण नियमित अंतराल पर सूचनाओं की महत्वपूर्ण श्रेणियों को स्वतः प्रकाशित करते रहें। इस सूचना हेतु लोक प्राधिकरणों को नागरिकों की ओर से मांग करने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इसके अनुसार, त्रिस्तरीय पंचायती राज निकायों द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं प्रकाशित की जानी चाहिए [34] :–

- ❖ संगठनात्मक ढांचा और पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों, कर्त्तव्यों और दायित्वों तथा उनके अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य और कर्त्तव्य;
- ❖ पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही को माध्यम भी शामिल हो;
- ❖ इनकी कार्यप्रणालीयों में अपनाए जाने वाले मापदण्ड;
- ❖ पंचायती संबंधी कार्य को करने हेतु, पंचायत कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियम, कानून, अनुदेश और अन्य अभिलेखों की सूचना;
- ❖ पंचायती राज संस्थाओं के नियंत्रण में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण (उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज निदेशालय के स्वयमेव खुलासे के प्रावधान हेतु परिशिष्ट– 1 देखें);
- ❖ पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका [35];
- ❖ पंचायती राज संस्था के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को प्राप्त होने वाला वेतन, जिसमें शामिल संबंधित प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति की व्यवस्था शामिल हो (उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक वेतन के प्रावधान हेतु परिशिष्ट – 2 देखें);
- ❖ पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु स्थापित की गयी सलाहकारी समितियों के विवरण;
- ❖ प्रत्येक पंचायती राज संस्था को आबंटित बजट, जिसमें – समस्त योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय और संवितरण का प्रतिवेदन शामिल हो (उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज संस्थाओं के बजट आवंटन हेतु परिशिष्ट – 3 (क) और (ख) देखें);
- ❖ सब्सिडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का विस्तृत विवरण, जिसमें शामिल हो आबंटित की गयी राशि और इन कार्यक्रमों के हितग्राहियों का विवरण;
- ❖ छूट, अनुज्ञा पत्र या किसी अधिकार पत्र को प्राप्त करने वालों के विवरण;
- ❖ पंचायती राज संस्थाओं के पास इलक्ट्रॉनिक रुप में उपलब्ध सूचनाओं और सूचना को प्राप्त करने हेतु जनता का प्रदान की गयी सुविधाओं का विवरण, जिसमें शामिल है – पुस्तकालय या वाचनालय के खुलने का समय;

---

[34] धारा – 4 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

[35] उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा रखा जाने वाला अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची (पंचायत रजिस्टर के ...) उनके नाम एवं पदों के विवरण सहित रखी जाए।

- जन सूचना अधिकारी, जो कि सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके नाम, पदनाम व अन्य विवरण।

सूचना का अधिकार अधिनियम इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख करता है कि, इन सूचनाओं का खुलासा न्यूनतम लागत और स्थानीय भाषा तथा स्थानीय स्तर पर प्रचार के प्रभावशाली साधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

सूचना का अधिकार अधिनियम स्पष्ट करता है कि, इन सूचनाओं का खुलासा सूचना पटल, समाचार पत्र, सार्वजनिक घोषणाओं, मीडिया पर प्रसारण तथा इंटरनेट व अन्य ऐसे माध्यमों के द्वारा किया जा सकता है।[34] कम से कम सूचना, पंचायत के जन सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे सूचना का निःशुल्क अवलोकन किया जा सके और यदि वह मुद्रित प्रारूप में है, तो वह लागत मूल्य पर नागरिकों को उपलब्ध हो सके।

सूचना का अधिकार पर वेबसाइट

जनता को सूचना तलाश करने (विशेषकर जिसे विभिन्न सरकारीय विभागों द्वारा प्रकाशित किया जाता है) हेतु एक तरीका प्रदान करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा एक सूचना सेवा (www.rti.gov.in) की स्थापना की गयी है। चूंकि, केन्द्र / राज्य सरकार के विभागों द्वारा इंटर्नेट पर सूचनाओं को उपलब्ध कराने का कार्य अभी प्रक्रिया में है, अतः अभी केवल ऐसे विभागों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनके दस्तावेजों को इस पर उपलब्ध करा दिया गया है या सूचना का अधिकार से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने की संपर्क जानकारी इन विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। उत्तर प्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों ने पंचायत राज विभाग द्वारा तैयार स्वयमेव खुलासे की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी है।[35]

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार विभागीय मैनुअल, नागरिक चार्टर एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें आम जनता के उपयोगार्थ विभागीय वैबसाइट पर अपलोड है।

पंचायती राज विभाग द्वारा वेबसाईट तैयार की गई है जिसमें विभाग की प्रमुख गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को दर्शाया गया है। इसे http:// panchayatiraj.up.nic.in/ पर देखा जा सकता है।

[34] धारा 4 (4), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
[35] सूचना के अधिकार पर और अधिक जानकारी के लिए देखें: www.persmin.nic.in देखें।

इंदिरा आवास योजना संबंधी सूचना का स्वतः खुलासा[*]

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है जो आवासहीन हैं या जो कच्चे या टूटे मकानों में रहते हैं। हाल ही में, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार–पत्रों में इस योजना के बारे में सूचना का स्वतः खुलासा, एक विज्ञापन प्रकाशन द्वारा किया था। वास्तविक रूप में यह उस प्रकार की सूचना है, जिसका प्रकाशन सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किया जाना चाहिए और इसी प्रकार की सूचना का प्रकाशन और प्रसारण पंचायतों द्वारा स्थानीय क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने यह सूचना दी कि इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार को मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में क्रमशः 25,000/– एवं 27,000/– रू. मकान बनाने के लिए सहायता के रूप में दिए जाएंगे। मंत्रालय द्वारा प्रमुख रुप से यह बताया गया कि बी.पी.एल. जनगणना 2002 के परिणामों के आधार पर इंदिरा आवास योजना के हितग्राहियों की एक स्थायी सूची हर गांव के लिए बनायी जाएगी, जिससे गरीब व्यक्ति आवंटन वर्ष की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार की प्रतीक्षा सूची प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रदर्शित की जानी चाहिए। इस सूची की प्राथमिकताओं में यदि कोई विरोधाभास दिखायी देता है तो लोग विकास खण्ड या ज़िला स्तर पर इसकी शिकायत की जा सकती है। इस समस्त प्रक्रिया का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाना और नकारात्मक प्रवृत्तियों को इससे दूर रखना है।

[*] ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा, द हिन्दू (दिल्ली) संस्करण 3,10–05–03 में प्रकाशित विज्ञापन।

आवेदन कैसे प्रस्तुत करे ?

"सूचना का अधिकार" अधिनियम के दायरे में आने वाले लोक प्राधिकरण के सभी कार्यालयों और प्रशासनिक इकाइयों में राज्य लोक सूचना अधिकारी तथा प्रत्येक खण्ड एवं स्तर पर एक सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी को यह दायित्व दिया गया है कि वह आवेदकों से प्रार्थना पत्र प्राप्त करे और उन्हें राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास भेज दे। वे एक डाकखाने की तरह कार्य करते हैं और उनसे सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदकों को सूचना प्रदान करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। राज्य लोक सूचना अधिकारियों की यह ज़िम्मेदारी है कि वह आवेदकों के प्रार्थना पत्र प्राप्त करें व सूचना प्रदान करें यदि वह सूचना किसी धारा में प्रदान किये जाने से ना रोकी गयी है। आवेदन हिन्दी अथवा अंग्रेजी में दिया जा सकता है। यदि प्रार्थी स्वयं लिखने में असमर्थ है, तो लोक सूचना अधिकारी का यह कर्त्तव्य बनता है कि उसका आवेदन लिखित रूप में बनवाने में यथा सम्भव मदद करे। उत्तर प्रदेश में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में कहा गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सादे कागज पर आवेदन–पत्र दिया जा सकता है तथा इसके साथ 10 रू की फीस नकद, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या पोस्टल आर्डर के रूप में जमा करनी होगी। यह उल्लेखनीय है कि, प्रार्थी को सूचना प्राप्त करने का कारण नहीं बताना है और न ही राज्य लोक सूचना अधिकारी उससे कारण बताने की मांग कर सकता है।

राज्य लोक सूचना अधिकारी का यह दायित्व है कि वह मांगी गई सूचना 30 दिनों के अंदर प्रार्थी को उपलब्ध कराये अथवा कारण बताते हुये उसे सूचना देने से मना कर दे।[43] किसी व्यक्ति के जीवन–मरण और स्वतंत्रता सम्बन्धी सूचना 48 घंटों में उपलब्ध करनी पड़ेगी। अगर सूचना तैयार हो जाने पर यदि अतिरिक्त फीस (छाया प्रति, सीडी या फ्लॉपी की कीमत) की आवश्यकता पड़ती है, तो राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थी को अतिरिक्त फीस की जानकारी देते हुए मांग करनी पड़ेगी।

उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त फीस के अन्तर्गत, अभिलेखों की छाया प्रतियां या इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना उपलब्ध कराने की कीमत शामिल है। फोटो कापी की कीमत अधिनियम के अन्तर्गत प्रति पृष्ठ (ए–3 एवं ए–4 साइज के पपर पर) दो रुपये निर्धारित है। इससे बड़ साईज के कागज पर फोटो कापी की वास्तविक कीमत ली जायेगी। नमूने एवं छपे हुये प्रकाशनों की वास्तविक कीमत ली जायेगी। फ्लॉपी, डिस्केट या काम्पैक्ट डिस्केट पर सूचना प्राप्त करने की कीमत 50 रुपय होगी। नागरिकों को पंचायत कार्यालयों तथा सरकारी विभागों में अभिलेखों के अवलोकन का भी अधिकार है। प्रथम घंटे के निरीक्षण एवं अवलोकन की कीमत 10 रुपय तथा बाद के समय में, प्रत्येक अतिरिक्त पन्द्रह मिनट[42] के लिये 5 रुपय फीस ली जायेगी। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के प्रार्थीयों से कोई फीस नहीं ली जायेगी।

धारा – 5 (1) सूचना का अधिकार, 2005

धारा – 5 (2) सूचना का अधिकार, 2005

उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियम संशोधन) नियमावली, 2006। यह राज्य सरकार की अधिसूचना सं. 1500/4 3–2–2005–15/2(2)/05, जी.सी. दिनांक 27 [illegible] 2005 [illegible]।

धारा – (7) (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

धारा – (7) (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियम) (संशोधन), नियमावली, 2006

धारा 7 (5), सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

तालिका 1
उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायत राज विभाग के राज्य सहायक लोकसूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी

स्तर	राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी	राज्य लोक सूचना अधिकारी	विभागीय अपील अधिकारी
राज्य सरकार	–	विशेष सचिव, पंचायत राज्य विभाग, 13 भूतल बहुखण्डी भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ 0522–2235720	–
निदेशालय स्तर	–	संयुक्त निदेशक, पंचायती राज्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, छठवां तल, जवाहर भवन लखनऊ (फोन 0522–2286616)	प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ 0522–2238120
मण्डल स्तर	मण्डलीय उप–निदेशक, पंचायत	उप–निदेशक पंचायत	निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ
जिला पंचायत	ज़िला पंचायत राज अधिकारी	ज़िला पंचायत राज अधिकारी	मण्डलीय उप निदेशक पंचायत (मण्डल का)
जनपद पंचायत	–	–	जिला पंचायत राज अधिकारी
ग्राम पंचायत	–	सचिव, ग्राम पंचायत / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	सहायक विकास अधिकारी पंचायत (संबंधित विकासखण्ड)

तालिका 2 : शुल्क[44]

क्र.	सूचना का विवरण	शुल्क
1.	आवेदन के साथ शुल्क	प्रति आवेदन 10 रुपये
2.	अदायगी का प्रकार	नकद, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, भारतीय पोस्टल आर्डर
3.	जहाँ सूचना छपे हुये प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हैं	प्रकाशन पर छपा हुआ मूल्य
4.	दस्तावेजों की छाया प्रतियां	ए–4 और ए–3 के आकार के कागज पर दो रु प्रति पृष्ठ और उससे बड़े साइज के कागज पर वास्तविक लागत
5.	जहाँ फ्लापी या सी.डी. के रूप में सूचना उपलब्ध है	पचास रुपए प्रति फ्लापी या सी.डी.
6.	अभिलेखों / दस्तावेजों के अवलोकन पर शुल्क	प्रथम घंटे के अवलोकन के लिये 10 रुपये, उसके बाद प्रत्येक 15 मिनट या उस भाग पर 5 रुपये
7.	नमूना / मॉडल	वास्तविक लागत

नोट : प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1163/43–2–2005, दिनांक 29 नवम्बर 2005 के अनुसार फीस जमा करने के लिए लेखा शीर्षक "0070– अन्य सेवायें, 800– अन्य प्राप्तियां" होगा।

आवेदकों को यह अधिकार है कि वह अतिरिक्त फीस के विषय में अपीलीय अधिकारी से पूर्ण जानकारी व निर्णय की समीक्षा (नीचे विस्तार में विवरण किया गया है) प्राप्त कर सकते हैं अगर उन्हे ये फीस अकारणीय ज्यादा लग रही है।

लोक सूचना अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि, वह शुल्क मांगे जाने संबंधी अपने निर्णय की समीक्षा हेतु, आवेदक को अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पता के विषय में जानकारी प्रदान करे।

[44] उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2005

सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं से सूचना प्राप्ति

उत्तर प्रदेश के पंचायती राज निदेशालय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों से सूचना प्राप्त करने के लिये निम्न प्रक्रियाएं निर्धारित की गई है :

ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिक, पंचायत सचिव को प्रार्थना पत्र देकर सूचना प्राप्त कर सकते है, और अभिलेखों की फोटो कापी प्राप्त कर सकता है। अभिलेखकों की फोटो कापी का शुल्क 1रू प्रति पृष्ठ है।

विकासखण्ड स्तर पर सूचना का अधिकार के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) जिन्हें सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है, को प्रार्थना–पत्र दिया जा सकता है;

ज़िला स्तर पर, जिला पंचायत राज अधिकारी जिन्हें सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है, को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है;

राज्य स्तर पर संयुक्त निदेशक (पंचायत) को लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है। उन्हें सूचना का अधिकार क अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र निम्न पते पर प्रस्तुत किया जा सकता है;

संयुक्त निदेशक (पंचायत), राज्य लोक सूचना अधिकारी, पंचायती राज निदेशालय, छठवां तल, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

कानपुर देहात ज़िला में नागरिक सूचना केन्द्र[45]

कानपुर देहात में ज़िला प्रशासन एवं राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) द्वारा पार्श्व–पर्दा सूचना छतरी (Touch Screen Information Kiosk) स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन 9 जनवरी, 2007 को किया गया था। यह छतरी कई मुद्दों पर सूचना उपलब्ध कराती है। इनमें से कुछ हैं –

विधान सभा मतदाता सूची, जनसंख्या के आँकड़ें, अवकाश सूची, उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित आंकड़ें एवं सांख्यिकी, ज़िला स्तरीय अधिकारियों की सूची तथा विभिन्न विभागों के प्रारुप। इसके अतिरिक्त कियास्क में छपाई सम्बन्धी सेवायें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इनमें कर्मचारियों की पेस्लिप्स, विशेषकर, बेसिक शिक्षा विभाग का ज़िला कार्यालय तथा सेवा निवृत्त अध्यापकों एवं ट्रेजरी पेंशनरों की पेस्लिप्स आदि सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त कियास्क पर विकास खण्ड एवं जिला स्तरीय मानचित्र भी उपलब्ध हो सकता है। भविष्य में यह भी अपेक्षा की जाती है कि, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं बेसिक शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अन्य सेवायें भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इस कियास्क को आंकड़ें कानपुर देहात में कार्यरत विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त तहसील एवं विकास खण्ड स्तर पर इसी प्रकार के कियास्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

---

45 कियास्क के सम्बन्ध में अन्य विवरण के लिये पृष्ठ – http://kanpurdehat.nic.in/infokiosk.htm (जनवरी, 2007 तक) देखें।

कौन सी सूचनायें इसके अन्तर्गत नहीं आती ?

अधिनियम में कुछ ऐसी सूचनाओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें जन सामान्य को नहीं दिया जा सकता है। इन्हें छूट योग्य कहा गया है।[16] इनमें मुख्य निम्न प्रकार हैं :

- भारत की प्रभुता , अखण्डता पर विपरीत असर डालने वाली सूचनाएँ;
- राज्य की सुरक्षा, विशेष वैज्ञानिक या आर्थिक हितों या अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर असर डालनें वाली सूचनायें;
- लोक सुरक्षा और शांति पर असर डालने वाली सूचनायें;
- किसी अपराध की जांच पड़ताल पर असर डालने वाली सूचनायें;
- ऐसी सूचनायें जो किसी अपराध करने में किसी को प्रोत्साहन दें या किसी कानूनी कार्यवाही पर विपरीत असर डालें;
- केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सम्बन्धों पर विपरीत असर डालने वाली ऐसी सूचनायें जो केन्द्र एवं राज्यों के बीच गुप्त रूप से दी गई हों;
- मंत्रिमण्डल, उसके सचिवों और अधिकारियों के सभी दस्तावेज व विचार–विमर्श;
- कोई नीति बनाने या निर्णय लेने से पहले, निर्णय प्रक्रिया की विचार–विमर्श, कानूनी सलाह एवं राय।

किसी भी स्थिति में त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा रखे जाने वाले अधिकांश अभिलेख ऐसे नहीं हैं, जिन्हें छूट के योग्य माना जाये, क्योंकि सामान्यतया, विकास सम्बन्धी सभी मुद्दे इतने संवेदनशील नहीं हैं कि उन्हें गुप्त रखा जाय। तकनीकी दृष्टि से किसी भी पंचायत द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों तक सभी नागरिकों की पहुंच सम्भव बनानी चाहिये। यदि किसी नागरिक द्वारा मांगी गई सूचना पर एक या अधिक प्रकार के छूट लागू होती है, तो लोक सूचना अधिकारी को स्पष्ट तौर पर अभिलेख नहीं देने का कारण बताते हुये लिखित रुप में मना कर देना चाहिये। मना करने का कारण छूट की पात्रता पर आधारित होना चाहिये। पंचायत या सरकारी कार्यालय की किसी सूचना को न देने का अन्य कोई कारण मान्य नहीं होगा। यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित अवधि में सूचना देने में असमर्थ रहता है और उसके न देने का कारण भी 30 दिन के अन्दर आवेदक को सूचित नहीं करता है, तो इसे सूचना देने से मना करने की संज्ञा दी जायेगी। नागरिक के अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार यहीं से सक्रिय हो जाता है।

अगर मांगी गई सूचना पर एक से अधिक छूट के नियम लागू होते हैं, तो सूचना का अधिकार के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि अगर इस सूचना के देने से जनहित की रक्षा होती है, तो उस सूचना को गुप्त रखने के बजाय खुलासा कर देना चाहिये।[17]

---

[16] धारा – 8– (1) एवं धारा – 9, सूचना का अधिनियम, 2005

[17] धारा 8 (2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

क्या सूचना का खुलासा न किये जाने के निर्णयों पर पुनर्विचार किया जा सकता है?

जब लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्राप्ति के अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो सूचना मांगने वाला व्यक्ति उस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है।

पहली अपील सम्बंधित सरकारी विभाग में लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को की जाती है। इस अधिकारी को विभागीय अपीलीय अधिकारी कहा जाता है। सूचना देने से मना करने पर अथवा निर्धारित अवधि तक कोई उत्तर न मिलने पर 30 दिन के अंदर यह अपील करनी होगी।[47] सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का जवाब नहीं देने पर, सूचना को देने से इन्कार करना माना जायेगा। इस प्रकार की नकारात्मक स्थिति में अपीलीय अधिकारी से अपील की जा सकती है। अपील दाखिल करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। विभागीय अपीलीय अधिकारी को इस पर अपना निर्णय 30 दिन के अंदर देना होगा।[48] असाधारण मामलों में अपीलीय अधिकारी अधिकतम 15 दिन का समय और ले सकता है किन्तु इस प्रकार के सभी मामलों में निर्णय न लेने के कारणों व विलम्ब का स्पष्ट उल्लेखन लिखित रूप में करना होगा। अगर लोक सूचना अधिकारी के मना करने के निर्णय को विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित ठहराया जाता है, तो व्यक्ति सूचना आयुक्त को अपील की जा सकती है। अगर राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किसी लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना देने से मना किया गया है, तो राज्य सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। अगर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित किसी लोक प्राधिकरण द्वारा ऐसा किया गया है, तो उसके मनाही करने की अपील केन्द्रीय सूचना आयोग में की जा सकती है।[49]

आवेदक उस स्थिति में भी सूचना आयोग में अपील कर सकता है, जब लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी उसके प्रार्थना–पत्र को लेने से मना कर देते हैं, अथवा उन तक पहुंच की प्रक्रिया या फीस से आवेदक संतुष्ट नहीं है, अथवा सूचना देने में अनावश्यक देरी होती है। वस्तुतः एक नागरिक अधिनियम के अन्तर्गत सूचना तक पहुँच बनाने के किसी भी मामले में, प्रार्थी सूचना आयोग को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। इसमें उन मामलों को भी शामिल किया जा सकता है, जिसमें सरकारी अधिकारी द्वारा स्वतः सूचना घोषित करने के नियम का पालन न किया गया हो।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–18 (1) के अंतर्गत उपरोक्त वर्णित सभी परिस्थितियों में प्रार्थी को एक विकल्प भी दिया गया है कि वह सीधे राज्य या केन्द्रीय सूचना आयोग को शिकायत दर्ज कर सकता है। यह अपील करने की प्रक्रिया में एक चरण कम करने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त नागरिक पर यह बध्यता भी नहीं है कि वह सूचना आयोग से सम्पर्क करने के पहले, पहली अपील की औपचारिकता पूर्ण कर ले, किन्तु सूचना आयोग पर अपील या शिकायतों के निपटारा करने हेतु समय सीमा की बाध्यता नहीं है। अतएव समस्या का जल्दी निपटारा कराने की दृष्टि से पहले विभागीय अपील अधिकारी के सामने मामला प्रस्तुत करना लाभप्रद होगा। यदि आवश्यकता पड़े, तो आयोग के समक्ष अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये। प्रार्थी को विकल्प पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर लेना चाहिये कि वह अपील करे अथवा शिकायत करे।[51]

[47] धारा – 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
[48] धारा – 19 (6) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
[49] धारा – 19 (8) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
[50] धारा – 18 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अपील करने या शिकायत करने के सभी मामलों में लोक सूचना अधिकारी या उसके विभागीय प्राधिकारी पर ही यह साबित करने का दायित्व बनता है कि सूचना देने से मना करना कितना न्यायोचित था।

केन्द्रीय और राज्य सूचना आयोग[1] से यह अपेक्षा की जाती है कि, स्वतंत्र अपीलीय या शिकायती संस्थाओं के रुप में वे कम खर्चीली एवं शीघ्र निर्णय देने वाली प्रणाली विकसित करें। आयोगों को अपील सुनने और शिकायतों पर जांच करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं।[2] उनके नियमित तौर पर कानून का अनुश्रवण करने का दायित्व भी दिया गया है। इसमें सरकारी लोक प्राधिकारियों को अपने कार्य में सूचना के अधिकार के कार्यान्वयन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन भी सम्मिलित है।[3] आयोग कानून के पालन करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है, जिसमें दस्तावेज का दिया जाना, लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति और विशिष्ट सूचना का प्रकाशन शामिल होगा।[4]

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग (जो राज्य सरकार के लोक प्राधिकरणों सम्बन्धी अपील एवं शिकायतों की सुनवाई करता है) तथा केन्द्रीय सूचना आयोग (जो केन्द्रीय लोक प्राधिकरण के कार्यों का निष्पादन करता है) का गठन किया जा चुका है और उनसे निम्न पते पर सम्पर्क किया जा सकता है :

उत्तर प्रदेश मे राज्य सूचना आयुक्त है– श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा, श्री संजय यादव, श्री वीरेन्द्र कुमार सक्सेना, श्री आर एच वी त्रिपाठी, डॉ श्री अशोक कुमार गुप्ता, श्री सुनील कुमार चौधरी, श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय, श्री राम सरन अवस्थी, श्री बृजेश कुमार मिश्र।

श्री वजाहत हबीबुल्ला,
मुख्य सूचना आयुक्त,
केन्द्रीय सूचना आयोग
बी विंग, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066
फोन (011)– 26761137
फैक्स (011)– 26186536
Email: whabibullah@nic.in
Website: www.cic.gov.in

ज्ञानेन्द्र शर्मा
मुख्य सूचना आयुक्त (कार्यवाहक)
उत्तर प्रदेश सूचना आयोग,
615 ए, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग
लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226001
फोन : 0522–2288599
फैक्स : 0522–2288600
Site : http://.upsic.up.nic.in/
E-mail : sec.sic@up.nic.in

[1] सूचना का अधिकार 2005 का तृतीय एवं चतुर्थ भाग
[2] धारा – 18 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
[3] सभी पंचायतों से यह अपेक्षा की गई है कि सूचना का अधिकार के सम्बन्ध में एक रजिस्टर रखें, जिसमें प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या तथा निस्तारण किये गए प्रार्थना पत्रों को कारण सहित दर्ज किया जाए, और अधिनियम के तहत फीस के रूप में जमा की धनराशि भी अंकित की जाये। ये विवरण संकलित कर पंचायती राज मंत्रालय को प्रेषित किये जायें। [illegible] एक वार्षिक रिपोर्ट बनाई जाये जिसमें प्रार्थना–पत्र के विषय में विस्तारपूर्वक विवरण हो कि इस मंत्रालय द्वारा किस प्रकार निपटाये गये। यह रिपोर्ट राज्य सूचना आयोग को भेजी जायेगी।
[4] धारा – 19 (8) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

क्या अधिकारियों को प्रावधान का पालन न करने पर दण्डित किया जा सकता है ?

प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी (या कोई ऐसा अधिकारी जिसकी सहायता लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र पर विचार करने के समय ली गई है) पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000 रु. तक का जुर्माना निम्न कारणों के आधार पर लगाया जा सकता है :

- बिना उचित कारण के प्रार्थना–पत्र लेने से इन्कार करना (यह सहायक लोक सूचना अधिकारी पर भी लागू होता है);
- निर्धारित समय के अंदर बिना उचित कारण के सूचना न देना;
- बिना किसी उचित कारण या दुर्भावना के कारण सूचना न देना;
- जानबूझकर अधूरी, गलत या भ्रामक सूचना देना;
- मांगी गई सूचना को नष्ट करना;
- किसी भी प्रकार से सूचना देने में बाधा डालना[56]।

जुर्माने का निर्धारण राज्य अथवा केन्द्रीय सूचना आयोग, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायगा। इसका निर्धारण अपील अथवा शिकायत पर निर्णय लेने के समय किया जायेगा।[57]

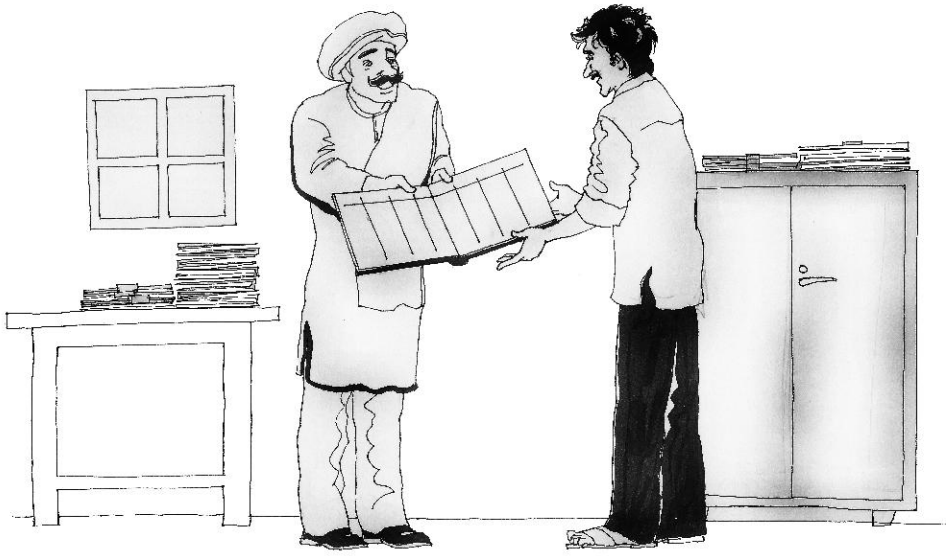

[56] धारा – 20, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

[57] जुर्माने की रकम लोक सूचना अधिकारी को अपनी जेब से देनी होगी। इसी प्रकार यदि लोक सूचना अधिकारी सूचना देने में इसलिये असमर्थ रहा है क्योंकि किसी अन्य अधिकारी ने सूचना को प्राप्त करने में आवश्यक सहायता नहीं की है, तो इस स्थिति में उस अधिकारी पर भी जुर्माना किया जायगा।

भाग 3 : ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना का खुलासा

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 ने सूचना प्राप्त करने के लिए प्रावधान किये गये हैं। कुछ के अन्तर्गत स्वतः सूचना दिये जाने की व्यवस्था है, अन्य प्रावधानों के अंतर्गत सूचना मांगे जाने पर ग्राम पंचायत के अभिलेखों तक पहुंच की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है ।

ग्राम सभा की बैठकों में स्वतः खुलासा

ग्राम सभा सदस्य अपने अधिकार और कर्त्तव्यों को उचित रूप से क्रियान्वित कर सकें, अतः उन्हें पंचायत में होने वाली विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों, ग्रामीणों के लिए उपलब्ध वित्त तथा योजनाओं के विषय में स्वयं ही सूचित किया जाए। इस प्रकार की सूचना मिल जाने पर लोग ग्राम संबंधी मामलों में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं और ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह भी बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियन, 1947 के अनुसार, ग्राम सभा की सामान्य बैठकों में पंचायत संबंधी जानकारियों पर जनता के साथ चर्चा की जानी चाहिए।

ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए, ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से 1/5 सदस्यों का होना कोरम की पूर्ति माना जाएगा।[58] ग्राम सभा की बैठक की सूचना के लिए बैठक का स्थान, दिनांक और समय का स्पष्ट उल्लेख करते हुए एक प्रकाशन ग्राम सभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाकर और मुनादी करवा कर किया जाएगा।[59]

ग्राम सभा की बैठक में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में निम्न सूचनाओं पर जनता के साथ चर्चा की जाएगी:[60]

(क) गत बैठक की कार्यवाही पढ़कर उसे सुनिश्चित करने के बाद प्रधान द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा;

(ख) गत बैठक के पश्चात् का हिसाब प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा ;

(ग) अन्य विषय, यदि कोई हो, तो उस पर विचार किया जाएगा।

प्रत्येक ग्राम सभा की कार्यवाही का लेखन प्रारुप संख्या 8 (परिशिष्ट –4 देखें) के अनुसार हिंदी में किया जाएगा।[61]

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम ग्राम सभा को अधिकार देता है कि, निम्न विषयों पर विचार करने के बाद ग्राम पंचायत को अनुशंसा और सुझाव प्रस्तुत करे :–

(क) ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पूर्व वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक प्रतिवेदन और अंतिम अंकेक्षण टिप्पणी[62] (आडिट नोट) तथा उस पर दिए गए उत्तर, यदि कोई हों;

(ख) पूर्व वर्ष से संबंधित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों का प्रतिवेदन;

---

[58] धारा – 11 (2) उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947

[59] धारा – 37 (1) उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947

[60] धारा – 35 (क) उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947

[61] नियम – 36 उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947 प्रारूप 8 के विस्तृत विवरण के लिए संलग्नक – 4 देखें।

[62] प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत की आडिट, सरकार की सहकारी समितियों एवं पंचायतों के मुख्य आडिट अधिकारी के आदेशों के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाती है।

(ग) गांव में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय को वृद्धि करने वाले कार्यक्रम;
(घ) गांव में प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम;
(ड) ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जाए।[63]

ग्राम पंचायतों को इस प्रकार के विषयों पर निर्णय लेते समय ग्राम सभा की अनुशंसाओं और सुझावों पर समान रूप से विचार करना होगा।

ग्राम पंचायतों की बैठकों में स्वयमेव खुलासा

ग्राम सभा की बैठकों में जनता को सूचना देने के अतिरिक्त ग्राम पंचायतें अपनी मासिक बैठकों में सूचनाओं का स्वयमेव ही खुलासा करती रहती हैं। चूंकि, ग्राम पंचायतों की बैठकों में अधिकतर निर्वाचित प्रतिनिधि ही शामिल होते हैं, अतः व्यावहारिक तौर पर सूचना का आदान–प्रदान निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच ही हो पाता है। राज्य के पंचायत राज नियमों के अनुसार, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अतिरिक्त ग्राम सभा क्षेत्र में आने वाले प्रांतीय रक्षक दल के समूह प्रमुख ग्राम पंचायत और समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं और उसमें अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।[64]

कानून के अनुसार, ग्राम पंचायत की एक माह में कम से कम एक बैठक अवश्य होनी चाहिए।[65] ग्राम पंचायत की इस बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य के पास चौकीदार या चपरासी के माध्यम से बैठक 5 दिन पूर्व भेजी जानी चाहिये और इसका प्रकाशन ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों पर सूचना लगाकर करना चाहिये।[66] ग्राम पंचायत की बैठक प्रधान द्वारा तथा उनकी अनुपस्थिति में उप प्रधान द्वारा बुलाई जाएगी। प्रधान बैठक का समय, तिथि और स्थान तय करेगा।

ग्राम पंचायत की बैठक में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी[67] :–

(क) अंतिम बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनायी जाएगी और उन्हें प्रमाणित करने के बाद तब प्रधान उस पर हस्ताक्षर करेंगे;
(ख) पूर्व माह का हिसाब ग्राम पंचायत के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा;
(ग) यदि मतदाता सूची में कोई परिवर्तन किया गया है, तो इस परिवर्तन की सूची प्रस्तुत की जाएगी;
(घ) सरकार, निदेशक पंचायत या ज़िला पंचायत राज अधिकारी से कोई पत्र और आदेश प्राप्त हुआ हो, तो उसे बैठक में पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा;
(ड़) पूर्व माह में किए गए कार्य की प्रगति को प्रस्तुत किया जाएगा;
(च) प्रश्नों के उत्तर, यदि कोई हों, दिए जाएंगे;
(छ) ग्राम पंचायतों की उप समितियों की कार्यवाही पढ़कर सुनायी जाएगी और उस पर विचार किया जाएगा;
(ज) अन्य विषय यदि कोई हों, तो उन पर विचार किया जाएगा।

---

[63] धारा – [illegible] (ड) उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947
[64] नियम – 46 उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947
[65] नियम – 33 उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947
[66] नियम – 27 (2) उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947
[67] नियम – 35 (3) उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947

कर लगाने के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा स्वतः खुलासा [58]

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियम के अनुसार यदि ग्राम पंचायत कोई नया कर, शुल्क या उपशुल्क लगाना चाहें[59] या पहले लगे हुए कर में निर्धारित सीमा के भीतर यदि वृद्धि करना चाहे तो वह अपने नोटिस बोर्ड या ग्राम सभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानों पर (यदि कोई हो) प्रस्ताव की प्रतिलिपि लगवाकर इसकी सूचना देगी। नोटिस में यह भी लिखा जायेगा कि इस दिनांक तक, जोकि नोटिस में दिया गया हो, जब लोग अपने विरोध पत्र ग्राम पंचायत के सचिव को दाखिल कर सकते है। लोगों को अपने विरोध–पत्र दाखिल करने हेतु दिनांक के विषय में कम से कम 15 दिन का पूर्व नोटिस देना चाहिये। ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव और आपत्तियां करने और कोई नया शुल्क या अपशुल्क या पहले लगे हुए कर में कोई वृद्धि के इरादे की घोषणा ग्राम सभा के क्षेत्र में मुनादी द्वारा भी करेगी। यदि ग्राम पंचायत को लोगों से प्रस्ताव पर आपत्तियाँ मिलती है तब ग्राम पंचायत उनकी अगली बैठक में, जो कि इस अभिप्राय के लिए बुलाई जाएगी, विचार करेगी।

यदि ग्राम पंचायत नया कर, शुल्क या उपशुल्क लगाने का निर्णय करे या पहले से लगे हुए कर, शुल्क या उपशुल्क की दर में वृद्धि करने का निर्णय करे, तो वह अपने प्रस्ताव को, व उन पर प्राप्त हुई आपत्तियों सहित ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत करेगी। यदि ग्राम सभा उक्त प्रस्ताव को किसी संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करे तो प्रधान उक्त प्रस्ताव को निर्धारित अधिकारी के पास स्वीकृति के लिए भेज देगा (परिशिष्ट – 5 देखें)।

सूचना का अधिकार ग्रामों तक

उत्तार प्रदेश के पांच ज़िलों फैज़ाबाद, बहराइच, बांदा, चित्रकूट एवं इलाहाबाद के 6 ग्रामों में 9 दिसम्बर 2006 से ग्रामीणों को सूचना का अधिकार अधिनियम प्रयोग करने के काबिल बनाने के लिये एक अभियान चलाया गया जिससे कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं के सम्बन्ध में ग्रामीणजन द्वारा शासन से सवाल–जवाब किये जा सके। यह पहल सूचना का अधिकार की समझ एवं अनुभव रखने वाली दिल्ली की एक स्वैच्छिक संस्था कबीर द्वारा पैक्स कार्यक्रम [60] के अन्तर्गत की गई। प्रारम्भिक चरण में बहराइच जनपद के चितौर विकास खण्ड के ताज खुदाई ग्राम के लोगों द्वारा 165 सूचना का अधिकार सम्बन्धी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये। इसे देखकर पड़ोसी ग्रामीणों ने भी सूचना का अधिकार के अन्तर्गत कुछ प्रार्थनापत्र दिये। इसका प्रमुख श्रेय क्रांति युवा समूह को जाता है, जिसने समुदाय के स्तर पर जन जागरुकता हेतु अभियान चलाया था। इसमें प्रमुख रुप से इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लोगों को लाभ न देने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा स्कूली बच्चों को घटिया पोशाक आपूर्ति करने जैसे मुद्दे लिये गये थे। इसी प्रकार सूचना का अधिकार संबंधी प्रार्थनापत्र ग्रामीण परियोजना के अन्तर्गत चयनित अन्य ग्रामों के ग्रामीणों द्वारा दिये गये। इस प्रकार के प्रयासों का तात्काल नतीजा सामने आया, जैसे बहराइच जिला प्रशासन द्वारा जांच के लिये एक विशेष कार्यदल गठित किया गया। इससे पड़ोसी ग्रामों के ग्रामीणों को सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना का अधिकार के प्रयोग करने की प्रेरणा मिली। मुख्य रूप से परियोजना के अन्तर्गत आने वाले सभी ज़िलों के अधिकारियों द्वारा प्रार्थना पत्र तुरन्त स्वीकार किये जाने लगे, जबकि इससे पहले प्रार्थना–पत्र देने वाले लोगों को या तो निकाल दिया जाता था, या मामूली आधार पर प्रार्थना–पत्र निरस्त कर दिये जाते थे।

---

[58] नियम – 220 (1) उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947

[59] परिशिष्ट – 5 देखें, करों के प्रकार के लिए जो ग्राम पंचायत द्वारा आरोपित किये जा सकते हैं।

[60] कबीर की अधिक जानकारी के लिये कृपया देखें– वेबसाइट www.empowerpoor.org

ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की स्वतः घोषणा

उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत कानून एवं इससे संबंधित नियमों में ग्राम पंचायतों को यह दायित्व दिया गया है कि, वह पूर्व वित्तीय वर्ष के अपने कार्य की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट 15 अप्रैल से पहले निर्धारित अधिकारी के पास भेज दें। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित सूचनायें होंगी :

(क) ग्राम पंचायत का संविधान;

(ख) एक विवरण पत्र, जिसमें अनुदान और योगदान तथा उनका उपयोग दिखाया गया हो;

(ग) कर सम्बन्धी विवरण पत्र, जिसमें मांग, वूसली, छूट और बकाया दिखाया गया हो;

(घ) वह आय जो फौजदारी के मुकदमें में किये गये अर्थदण्ड के अतिरिक्त, अन्य अर्थदण्डों से प्राप्त हुई हो;

(ङ) अन्य साधनों से होने वाली आय;

(च) व्यय (i) स्थायी, (ii) अस्थायी

(छ) धारा 15 और 16 में बताये गये प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट के अधीन पूरे वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाहियां। (ग्राम पंचायत को दिए गए कार्य की अधिक सूची हेतु परिशिष्ट – 6 देखें);

(ज) एक विवरण पत्र जिसमें ऐसे देय जो वर्ष में वसूल होने बाकी रह गये हो उनको भुगतान न किये जाने के कारण बताया गया है;

(झ) एक विवरण–पत्र जिसमें निर्माण और मरम्मत के बड़े कार्य, जो उस वर्ष पूरे किये गये हों, चालू रहे हों अथवा जो भविष्य में किसी योजना के साथ किये जाने वाले हों, दिखलाये गये हो;

(ञ) ग्राम पंचायत प्रारुप–पत्र संख्या 1 में दिया गया विवरण–पत्र (देखें परिशिष्ट – 7);

(ट) कोई अन्य महत्वपूर्ण बात।

ग्राम पंचायत, रिपोर्ट के साथ एक ऐसा विवरण–पत्र संलग्न करेगी जिसमें उस वर्ष की आय और व्यय का ब्यौरा और उसके बेंकर का हस्ताक्षर किया हुआ एक प्रमाण–पत्र दिया हो और यदि डाकखाने में धन जमा हो, तो प्रधान का हस्ताक्षर किया हुआ प्रमाण–पत्र संलग्न किया जायेगा।[1]

ग्राम पंचायत को प्राप्त निधि को राज्य कोषागार या पास के डाकघर के बचत खाते में या पास के सहकारी बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी शाखा में रखा जायेगा।[2] परंतु यदि ग्राम सभा के निकट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा हों, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्राथमिकता दी जायेगी।

[1] नियम – 66 उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947

[2] नियम 179, उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947

उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार आंदोलन

दिसम्बर 2002 में उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद ने आशा आश्रम के सक्रिय सहयोग से सूचना के अधिकार पर एक आंदोलन चलाया गया था।[1] भरावन ग्राम पंचायत से प्रारम्भ होकर यह आंदोलन 30 से अधिक ग्राम पंचायतों तक फैल गया था। प्रथम चरण में, 6 ग्राम पंचायतों के लोगों के द्वारा विकास निधि के आय–व्यय के विवरण मांगे गये थे। एक सरकारी जांच के अनुसार भरावन ग्राम पंचायत में रु. 2,84,311 का गबन हुआ था। सिकरोरिहा ग्राम पंचायत में यह पता चला कि, एक ब्राह्मण ज़मींदार दलित प्रधान के नाम पर ग्राम पंचायत संचालित कर रहा था। यह दलित, ब्राह्मण के यहां नौकर था। तत्कालीन ज़िलाधिकारी द्वारा दोनों ग्रामों के प्रधानों को बर्खास्त कर दिया गया, किन्तु प्रथम मामले में न्यायालय तथा दूसरे मामले में एक राजनेता के हस्तक्षेप से बर्खास्त का निर्णय उलट दिया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) 2005

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम देश के गरीबी उन्मूलन से संबंधित अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में से एक है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के उन परिवारों, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रमिक मज़दूरी करने को इच्छुक हों, को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का कार्य उपलब्ध कराने की वैयक्तिक गारंटी दी गई है। इसे 2 फरवरी, 2006 से सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया है। वर्तमान में 1 अप्रैल 2008 से अधिनियम के कार्यान्वयन देश के 602 जिलों को अधिसूचित किया गया है।

प्रथम चरण में 200 जिला और दूसरे चरण में देश के 330 जिलों में भारत सरकार द्वारा इसे विस्तारित कर दिया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनायी जाये। इस योजना का उद्देश्य काम की मांग करने वाले किसी वयस्क ग्रामीण के काम की वैधानिक गारंटी को प्रभावी बनाना है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन की सुगमता के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्गदर्शी बिंदु बनाये गये हैं जिसे मोटे तौर पर परिचालन ढाँचा माना जा सकता है।[2]

उत्तर प्रदेश में यह योजना 70 जिलों की 52,000 ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है। राष्ट्रीय गारंटी रोजगार गारंटी अधिनियम में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के प्रावधान तय किये गए है। देश में सूचना का अधिकार 2005 के बाद यह सम्पूर्ण देश में लागू हो गयी। अभिलेख में राज्य की भूमिका सम्बन्धी एक पृथक अध्याय–पारदर्शिता एवं जवाबदेही पर जोड़ा गया है।

---

[1] आशा आश्रम–लालपुर उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के सांडीला में है। यह एक स्थानीय समुदाय का प्रयास था जिसे सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य, अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक कौशल विकास, महिला अधिकार एवं [illegible] स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से [illegible] था। [illegible] भरावन, [illegible] एवं हरदोई जिले के आसपास ग्रामों में सूचना का अधिकार के माध्यम से सशक्तिकरण कार्य का केन्द्र बिन्दु [illegible] के जरूरतमंद [illegible] करता था। अधिक विवरण के लिये कृपया वेबसाइट www.ashanet.org/projects/project-new कृपया देखें।

[2] अधिक जानकारी के लिये कृपया ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट देखें।

इसमें मुख्य बिन्दु निम्न है :

- ❖ राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के मांगे गये अभिलेख एक सप्ताह में दे दिये जाने चाहिये। सभी अभिलेख जन सामान्य के लिये हैं, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम की छूट सम्बन्धी धारा–8 के आधार पर मांगी गयी सूचना आवेदक को देने से इन्कार नहीं किया जाना चाहिए;
- ❖ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सम्बन्धी प्रमुख अभिलेख स्वयं ही घोषित किये जाने चाहिये। इसके लिये किसी प्रकार के प्रार्थना–पत्र दिये जाने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये। इस प्रकार के अभिलेखों की सूची राज्य रोजगार गारंटी परिशद द्वारा स्वयं तैयार की जानी चाहिये, जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जाना चाहिये। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिये प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा एक राज्य रोजगार गारंटी परिशद गठित किया जाना चाहिए;
- ❖ जहां तक सम्भव हो, इन अभिलेखों को इन्टरनेट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये;
- ❖ सभी स्तरों पर प्रमुख अभिलेखों एवं सूचना तक जनसामान्य की पहुंच होनी चाहिये। इनमें से प्रमुख है : रोजगार मांग का अद्यतन डाटा, निबंधन, जॉब कार्ड, रोजगार मांग करने वालों की सूची, रोजगार देने/ना देने का विवरण, आवंटित एवं व्यय की गई धनराशि, भुगतान विवरण, स्वीकृत एवं संचालित कार्य, कार्यो की आनुमानित एवं वास्तविक लागत। कार्यदिवस एवं सृजित मानव दिवस स्थानीय समितियों की रिपोर्ट, मस्टर रोल की प्रतियां;
- ❖ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना संबंधी प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा आवश्यक विवरण स्वतः घोषित किये जाने चाहिये और उन्हें प्रति वर्ष में दो बार अद्यतन करते रहना चाहिये। छोटे खातों की भी घोषणा विभिन्न माध्यमों से की जानी चाहिए यथा पंचायत भवन पर दीवाल लेखन, नोटिस बोर्ड पर चिपकाकर तथा लागत मूल्य पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन के रुप में ये जनता हेतु उपलब्ध होने चाहिये।
- ❖ स्थानीय कार्यो का रिपोर्ट कार्ड, रोजगार एवं निधि का प्रदर्शन ग्राम पंचायतों द्वारा अपने परिसर में, कार्यकम अधिकारी [1] द्वारा क्षेत्र पंचायत और अपने कार्यालय पर तथा ज़िला कार्यकम सम्न्वयक [2] द्वारा सारे जिले के लिये ज़िला पंचायत कार्यालय पर करना चाहिये।

---

[1] राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ,(धारा ..) के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यान्वयन की सुविधा के लिये आवश्यक सहायक स्टाफ के साथ एक कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति की जानी है। विकासखण्ड स्तर पर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिये वह एक समन्वयक की तरह कार्य करेगा और उसका पद खण्ड विकास अधिकारी के समकक्ष होगा। उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम अधिकारी की पृथक रूप से नियुक्ति न करके खण्ड विकास अधिकारी को ही अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी का दायित्व दे दिया गया है।

[2] राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार एक जिला कार्यक्रम समन्वयक नामित किया जाना, जो जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, या समुचित स्तर का कोई अन्य जिला स्तरीय अधिकारी होगा। यह अधिकारी जिले के अन्तर्गत इस योजना के कार्यान्वयन एवं समन्वयन के लिये पूर्णतया उत्तरदायी होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले विभिन्न प्रकार के अभिलेखों की स्वतः घोषणा[77]

ग्राम पंचायत के सचिव निम्न रजिस्टर रखेगे, यह सूची उत्तार प्रदेश पंचायत राज निदेशालय द्वारा सूचना का अधिकार के अन्तार्गत स्वतः घोषणा के मैनुअल के आधार पर दी गई है।

- वार्षिक रिपोर्ट
- कैश बुक
- रसीद बुक
- कार्यवाही रजिस्टर
- पास बुक
- अचल सम्पत्ति रजिस्टर
- कर दाता रजिस्टर
- कर निर्धारण एवं कर वसूली रजिस्टर
- मस्टर रोल [78]
- स्टाक रजिस्टर [79]
- जन्म सम्बन्धी सूचना की रसीद
- मृत्यु सम्बन्धी सूचना की रसीदे
- मृत्यु सम्बन्धी मासिक रजिस्टर
- जन्म सम्बन्धी मासिक रजिस्टर
- विवाह रजिस्टर
- विवाह प्रमाण पत्र
- कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र [80]
- ग्राम सभा का वार्षिक आय–व्यय
- एजेन्डा रजिस्टर
- वाउचर रजिस्टर
- निरीक्षण रजिस्टर
- ग्राम पंचायत (सामान्य) प्रति
- परिसम्पति रजिस्टर

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों एवं रजिस्टरों की सूची परिशिष्ट–8 में दी गई है।

---

[77] अधिक विवरण के लिये कृपया देखें इस वेब : http//www.rti.gov.in/members/uttarpradesh/panchayat-raj

[78] कार्य प्रभारी द्वारा दैनिक मजदूर द्वारा किये गये कार्यों का अंकन मस्टर रोल पर किया जाता है।

[79] स्टाक बुक में सभी प्रकार के स्टाकर—स्टेशनरी स्टेपलर, [illegible] कार्यों के लिये [illegible] पंचायत द्वारा [illegible] सभी प्रकार के [illegible], यंत्र, उपकरण, [illegible] एवं [illegible] आदि का अंकन किया जाता है।

[80] कार्य के [illegible] के पूर्ण पूर्णता प्रमाण पत्र [illegible] होगा। [illegible] प्रमाण पत्र [illegible] से [illegible] कि यह पूर्णता प्रमाण पत्र इस प्रकार [illegible] के उतने कार्य [illegible] है और यह [illegible] है कि कार्य स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार किया गया है।

ग्राम पंचायतों एवं न्याय पंचायतों के अभिलेख रखे जाने का स्थान[81]

नियमों में यह व्यवस्था दी गई है कि सभी रजिस्टर और न्याय पंचायतों के अभिलेख बंद होने के छः माह बाद ग्राम पंचायत के सचिव के पास जमा हो जाने चाहिये। न्याय पंचायतों के दीवानी एवं फौजदारी मामलों के अभिलेख को रखना एवं नष्ट करना उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिये। राजस्व मामलों सम्बन्धी अभिलेखों को राजस्व परिषद के मैनुअल के अध्याय– 54 के प्रावधानों के अनुसार रखा अथवा नष्ट किया जायेगा। इसके अतिरिक्त नियमों में आगे यह स्पष्ट किया गया है कि पंचायती राज निदेशक के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत के अभिलेख ज़िला अभिलेखागार में रखे जायेगे।

न्याय पंचायतों की बैठकों के सम्बन्ध में अधिसूचना[82]

न्याय पंचायत को स्वतः यह घोषित करना चाहिये कि, प्रत्येक माह में किस दिन बैठक होगी और इस प्रकार निश्चित की गई बैठकों की सूची न्याय पंचायत कार्यालय में रखी जानी चाहिये। साधारणतया, तारीखों की अधिसूचना पूर्व माह के तीसरे सप्ताह में जारी की जानी है। इसके अतिरिक्त, वादों की साप्ताहिक सूची अधिसूचित की जानी चाहिये तथा वादी–प्रतिवादी के नाम एवं सुनवाई की तारीख तथा सामान्य जानकारी न्याय पंचायत के कार्यालय के बाहर प्रदर्शित की जानी चाहिये।[83]

ग्राम निधि

उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम निधि होगी, जिसका उपयोग ग्राम सभा या ग्राम पंचायत अथवा उसकी किसी समिति द्वारा अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिये किया जायेगा। ग्राम निधि का संचालन प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है। ग्राम निधि में निम्न विषय शामिल होते है :–

- (क) इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर की आय;
- (ख) राज्य सरकार द्वारा (ग्राम पंचायत) को दी गई समस्त धनराशियां;
- (ग) ग्राम पंचायत अधिनियम के अधीन, पहले से विद्यमान के नाम जमा अवशेष यदि कोई हो;
- (घ) समस्त धनराशि जिन्हें न्यायालय या किसी अन्य कानून ने गांव निधि में जमा करने की आज्ञा दी हो;
- (ङ) धारा 104 के अधीन प्राप्त समस्त धनराशियां[84] जिस से ग्राम पंचायत अगर चाहे तो किसी वाद के शुरू या खत्म होने के बाद निर्धारित की गयी राशि के भुगतान के बाद अपराधी को अपराध से मुक्त कर सकती है;
- (च) ग्राम पंचायतों के सेवकों द्वारा धूल गन्दगी, गोबर, कूड़ा करकट जिसके अन्तर्गत पशुओं के शव भी सम्मिलित हैं, की बिक्री से प्राप्त धन;
- (छ) नजूल की सम्पत्ति और लगान उनकी आय का ऐसा भाग जिसे राज्य सरकार गांव निधि में जमा किये जाने का निर्देश दे[85];
- (ज) ज़िला पंचायत अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा गांव निधि में अंशदान के रुप में दी गई

---
[81] नियम – 36 ए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947
[82] न्याय पंचायतों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में स्थगित चल रही है। इसका पुर्नगठन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।
[83] नियम – 37 उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947
[84] ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित की गई राशि के भुगतान के बाद अपराधी को अपराध से मुक्त कर दिया जाता है।
[85] सरकार द्वारा रखी जाने वाली सरकारी नजूल भूमि जिसे उपयोग हेतु नजूल हस्तांतरित किया जा सकता है।

धनराशियां;

(झ) ऋण अथवा दान के रुप में दी गई धनराशि;

(ञ) ऐसी अन्य धनराशियां जो राज्य सरकार की किसी सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा गांव निधि को दी जाए;

(ट) समस्त धनराशियां, जो धारा 24 अथवा किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति अथवा निगम अथवा राज्य सरकार से ग्राम पंचायत को प्राप्त हुई हो; [56]

(ठ) राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के रुप में प्राप्त समस्त धनराशियां।

जब कभी भी ग्राम निधि की धनराशि के गबन का मामला प्रधान या अन्य किसी अधिकारी की जानकारी में आये, तो उसे तुरंत निर्धारित प्राधिकारी के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। इस अधिकारी का यह दायित्व बनता है कि वह इस मामले की सूचना ज़िलाधिकारी, पंचायत राज निदेशक और मुख्य आडिट आफीसर, सहकारी समितियां तथा पंचायतें, उत्तर प्रदेश को दे। [57]

ग्राम पंचायत में गाँव निधि के खाते

1. गांव निधि खाता –1 (विविध खाता)	ग्राम पंचायत की समस्त सामान्य प्राप्तियां
2. गाँव **निधि** खाता –**2** (जवाहर ग्राम समृद्धि योजना खाता)	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत प्राप्त धन
3. गाँव निधि खाता –3 (छात्रवृत्ति एवं पेंशन खाता)	छात्रवृत्ति तथा पेंशन वितरण हेतु प्राप्त धनराशि
4. गाँव निधि खाता – **4** (स्वजल धारा)	स्वजल धारा योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि तथा लाभार्थियों के अंशदान
5. गाँव निधि खाता – 5 (मिड डे मील)	मध्यान्ह योजनान्तर्गत प्राप्त परिवर्तन लागत की धनराशि

[56] धारा 24 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय से [illegible] निर्धारित शर्तों [illegible]।

[57] नियम 186 उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947

ग्राम पंचायतों के लेखों के रख–रखाव हेतु राहमति पत्र का प्रेषण

12 वं वित्त आयोग की संस्तुतियं क अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के लेखों के रख–रखाव हेतु शासनादेश संख्या–506/33–3–2006–100(14)/06 दिनांक 16 –06–2006 में ग्राम पंचायतों के लेखों के रख–रखाव हेतु सहमति पत्र का प्रेषण वित्तीय वर्ष 2006–07 में कार्य करने हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित प्रपत्रों का तैयार किये जाने की व्यवस्था निर्धारित अवधि में सुनिश्चित की जायेगी :

1. ग्राम पंचायत का वार्षिक आय–व्ययक
2. ग्राम पंचायत की वार्षिक प्राप्तियाँ एवँ भुगतान लेखा — प्रपत्र – 1 स 5 तक
3. ग्राम पंचायत की मासिक प्राप्तियाँ एवँ भुगतान का लेखा — प्रपत्र – 6
4. ग्राम पंचायत का मासिक समाधान विवरण — प्रपत्र – 7
5. ग्राम पंचायत राकड़ बही — प्रपत्र – 8
6. अचल सम्पत्ति की पंजी — प्रपत्र – 9
7. ग्राम पंचायत की माँग संकलन एवं शेष की पंजी — प्रपत्र – 10
8. ग्राम पंचायत की चल सम्पत्ति की पंजी — प्रपत्र – 11
9. ग्राम पंचायत का संकलन पत्र — प्रपत्र – 12
10. ग्राम पंचायत के भंडार पुस्तक की पंजी — प्रपत्र – 13
11. ग्राम पंचायत का समेकित सार — प्रपत्र – 14
12. सड़कों की पंजी — प्रपत्र – 15
13. ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि की पंजी — प्रपत्र – 16
14. शासन द्वारा निर्धारित अन्य कोई प्रपत्र

भाग चार : क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा खुलासा

इस भाग में क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर खुलासा की जाने वाली सूचनाओं पर प्रकाश डाला गया है। त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली के ऊपर के दो स्तरों कि पंचायतों पर यहां चर्चा एक साथ की गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 दोनों में समान प्रकार के प्रावधान दिये गये है।

शासन के इन दो स्तरों पर सूचना के अधिकार तक पहुंच इसलिये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्राम पंचायत की सभी सूचनाओं, योजनाओं, प्रतिवेदनों एवं व्यय सम्बन्धी विवरणों का मिलान इन दो उच्च स्तरीय पंचायतों पर होता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा कार्यो, योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिये आवंटित धनराशि का ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों को पुनः आबंटन जिला पंचायतों द्वारा किया जाता है। अतः लोग इन निकायों से यह जानना चाहते हैं कि वित्तीय संसाधनों का आबंटन सरकार द्वारा किया गया है व किस प्रकार इनका वितरण एवं उपयोग किया जाता है। यह उल्लेखनीय है क्योंकि इन दोनों स्तर की पंचायतों का निर्वाचन भी लोगों द्वारा किया जाता है, अतएव लोगों के प्रति इनकी जवाबदेही और इनके कार्यों में पारदर्शिता भी ग्राम पंचायतों की ही तरह होनी चाहिये।

सदस्यों द्वारा जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों के कार्यो एवं पंजिकाओं का निरीक्षण [58]

कानून में यह व्यवस्था है कि जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत का कोई सदस्य ऊपर के दो पंचायती राज संस्थाओं के कार्यो का निरीक्षण कर सकते है। वे अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से इन दोनों संस्थाओं के रजिस्टर, लेखा–जोखा या अन्य किन्हीं अभिलेखों का भी निरीक्षण कर सकते है। [59]

अधिनियम, नियमों एवं उप–नियमों तथा कार्यवाही रजिस्टर एवं आकलन सूची की स्वतः घोषणा

जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत कार्यालयों में प्रत्येक अधिनियम, नियम एवं उप–नियमों के विवरण रखे जाने चाहिये और जन सामान्य द्वारा कार्यालय समय में इन्हें निःशुल्क देखा जा सकता है। उप–नियमों में दर्शाई गई उचित कीमत में इनकी छायाप्रति जनता के लिये भी उपलब्ध रहती है।[60] इसके अतिरिक्त जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर तथा जिला पंचायत की आँकलन सूची भी किसी करदाता या निर्वाचक को निःशुल्क देखने के लिए उपलब्ध रहती है।[61]

यह भी संभव है कि, इन पंचायतों के लोक सूचना अधिकारी इन अभिलेखों को देखने के लिये आवेदकों से सूचना का अधिकार के तहत फीस भी लेने लगे। यह परम्परा अच्छी नहीं है और इसे निरुत्साहित किया जाना चाहिये। सूचना का अधिकार अन्य अधिनियमों/कानूनों/नियमों में सूचना प्राप्ति तक पहुंच के प्रावधानों का निरस्त नहीं करता है। सूचना का अधिकार अन्य अधिनियमों/नियमों के साथ–साथ लागू

[58] धारा 264 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961
[59] यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार के अन्तर्गत भारत का कोई भी नागरिक इन पंचायतों के अभिलेख, रजिस्टर या लेखा–जोखा देख सकता है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता नहीं रहती है कि सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी को अभिलेखों को देखने का प्रार्थना पत्र दिया जाता है।
[60] धारा 251 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961
[61] धारा 233 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961

होता है और किसी प्रकार की विसंगति होने पर ही उन पर ज्यादा प्रभावी होगा।[82] अगर सामान्य प्रकार के कार्यों से सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के अभिलेखों या रजिस्टरों के निरीक्षण की मांग की जाती है, तब उत्तर प्रदेश क्षेत्र और जिला पंचायत अधिनियम के सम्बन्धित प्रावधानों के तहत् निरीक्षण के नियम लागू होंगे। निरीक्षण की अनुमति निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिये और अभिलेखों की प्रतियाँ उपनियमों के अन्तर्गत निर्धारित लागत पर उपलब्ध कराई जानी चाहिये। यदि अनुरोध सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है, तो सूचना का अधिकार के अन्तर्गत निर्धारित फीस के नियम लागू होंगे। सूचना का अधिकार यह अपेक्षा नहीं करता है कि पंचायत या अन्य कोई सार्वजनिक संस्था सूचना के लिये प्राप्त प्रार्थनापत्र को इसी अधिनियम के अन्तर्गत माने। इसका प्रतिफल कानून के विपरीत होगा, जिससे सूचना की मांग करने वाले आवेदक सूचना मांगने से निरुत्साहित होंगे।

क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों द्वारा अन्य विषयों में स्वतः घोषणा

एक गली को सार्वजनिक गली घोषित करने के विषय में सूचना: एक क्षेत्र पंचायत एक गली को सार्वजनिक गली घोषित करने की बात एक सार्वजनिक विज्ञप्ति द्वारा कर सकती है जिसमें कि गली के मालिकों को दो महीने के अन्दर आपत्ति दाखिल करने का मौका मिले। क्षेत्र पंचायत को आपत्ति को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार है। यदि क्षेत्र पंचायत द्वारा इसे अस्वीकृत किया जाता है, तब क्षेत्र पंचायत को फिर से एक सार्वजनिक विज्ञापन जारी करना होगा कि अमुक गली को सार्वजनिक गली करार दे दिया गया है।[83]

निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा में रखे गये ज्वलनशील पदार्थों की तलाशी लेने का अधिकार : जब जीवन या सम्पत्ति के नुकसान की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, तो क्षेत्र पंचायत सार्वजनिक नोटिस द्वारा समस्त व्यक्तियों का किसी मकान, इमारत, या स्थान में जो नोटिस में उल्लेखित सीमाओं की भीतर हो, लकड़ी, सूखी घास, भूसा अथवा अन्य ज्वलनशील प्रदार्थो का संग्रह करने अथवा निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में उनके रखने अथवा चटाइयां या फूस की झोपड़ियां रखने या आग जलाने का निषेध कर सकती है।[84]

स्वास्थ्य के लिये हानिकारक खेती, खाद के प्रयोग अथवा सिंचाई का निषेध : यदि चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवा निदेशक (Director of Medical and Health Services) यह प्रमाणित करे कि किसी प्रकार की फसल की खेती या किसी प्रकार की खाद का प्रयोग या किसी भूमि की किसी विशेष ढंग से सिंचाई जो किसी गांव के क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी स्थान में की जाती है, पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, या ऐसे व्यर्थों को सरल बना देती है जो उनके स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है; या उससे जल–स्रोत दूषित हो जाने या उसके अन्यथा पीने के लिये अनुपयुक्त हो जाने की सम्भावना है, तो जिला पंचायत ऐसी फसल की खेती और उस खाद का प्रयोग या सिंचाई की रीति जो हानिकारक बतायी गयी है, निषेध कर सकती है।[85]

---

[82] धारा – 22 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
[83] धारा –130 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961
[84] धारा –204 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961
[85] धारा –219, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961

कब्रिस्तान या श्मशान के सम्बन्ध में अधिकार: जिला पंचायत सार्वजनिक नोटिस द्वारा, ऐसे कब्रिस्तान या श्मशान का जिनके सम्बन्ध में सिविल सर्जन या स्वास्थ्य अधिकारी ने यह प्रमाणित किया हो कि यह पास–पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या उसके हानिकारक होने की संभावना है, उस दिनांक से जो नोटिस में तय किया जाय, बन्द करने का आदेश दे सकती है तथा यदि समुचित दूरी के भीतर शवों को दफनाने या जलाने का कोई उपयुक्त स्थान न हो, तो वह इस उद्देश्य के लिये उपयुक्त स्थान की व्यवस्था भी करेगी।[86]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में क्षेत्र पंचायतों के अधिकार एवं कार्य

ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के वितरण का दायित्व क्षेत्र पंचायतों का है। इन दायित्वों में शामिल है, उचित मूल्य की दूकानों के मालिकों की नियुक्ति, निलबंन एवं निरस्तीकरण का अधिकार। इस प्रकार, यह क्षेत्र पंचायतों का एकमात्र अधिकार है कि ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य के दुकानदारों की नियुक्ति अथवा उनका लाइसेंस निलम्बित या निरस्त करें, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं के वितरण का प्रकरण इतना व्यापक है कि उन्हें इस प्रकार का अधिकार दिया जाय।[87]

सरकारी अधिकारियों से सूचना देने की अपेक्षा[88]

जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा मुख्य अधिकारी से और क्षेत्र पंचायत प्रमुख या खण्ड विकास अधिकारी से अपनी किसी बैठक में निम्नलिखित जानकारी देने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है;

- (क) जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के प्रशासन से संबंधित किसी विषय में कोई विवरणी, विवरण, अनुमान, आंकड़े या अन्य सूचना;
- (ख) किसी उप–समिति का प्रतिवेदन या स्पष्टीकरण, तथा
- (ग) कोई ऐसा प्रतिवेदन, पत्र–व्यवहार या योजना अथवा अन्य दस्तावेज या उसकी प्रतिलिपि जो उसके पास या नियंत्रण में हो या जिला पंचायत अथवा क्षेत्र पंचायत के किसी सेवक के कार्यालय में अभिलिखित या दाखिल हो।

दूसरे शब्दों में, उत्तर प्रदेश पंचायती राज कानून के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के केवल निर्वाचित सदस्यों को ही इन अभिलेखों तक पहुंच का अधिकार है, हालांकि सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग करके ग्राम सभा का कोई भी सदस्य या देश के किसी भाग में रहने वाले नागरिक की पहुंच सूचना तक हो सकती है। अगर सूचना का अधिकार की धारा–8 (1) के अन्तर्गत छूट के प्रावधान, माँग गये अभिलखों के सम्बन्ध में लागू नहीं होते है, तो पंचायती राज संस्थाओं के लोक सूचना अधिकारी अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये बाध्य होंगे। कानून के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी को इस आधार पर अभिलेख उपलब्ध कराने से मना करना उचित नहीं होगा कि आवेदक पंचायत का सदस्य नहीं है या वह पंचायत क्षेत्र का निवासी नहीं है।

---

[86] धारा – 221, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961
[87] धारा –32 (अनुसूची–एक) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961
[88] धारा –94 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961

जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों क अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट – 9 में दी गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अन्तर्गत इन अधिकारियों की सूची का खुलासा अनिवार्य हो जाता है। उनके वेतन एवं अन्य भत्तों का स्वतः खुलासा भी करना चाहिये, जिससे लोग यह जान सके कि उन्हें कितना वेतन मिलता है।

भाग 5 : आवेदन करने पर सूचना तक पहुंच

इस भाग में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम भी लोगों को पंचायती राज संस्थाओं से सूचना प्राप्त करने का एक अतिरिक्त कानूनी अधिकार देता है।

ग्राम पंचायतों एवं न्याय पंचायतों के अभिलेखों का निरीक्षण करना व उनकी प्रतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत या जिला पंचायत का कोई सदस्य तथा पदाधिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने या उसकी ओर से जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकार दिया हो, प्रधान या उप–प्रधान की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके सम्बन्धित ग्राम सभा का कोई सदस्य किसी ऐसे कार्य या संस्था या अभिलेख का, जो ग्राम पंचायत या उसकी समिति के अधिकार में हो, निरीक्षण कर सकता है।[89]

- ग्राम पंचायत द्वारा किया गया कोई कार्य किसी संस्था की इमारत का निर्माण या उसके रख–रखाव पर किया गया पूर्ण या आंशिक व्यय;
- कोई भी रजिस्टर, बुक या लेखा;
- ग्राम पंचायत या उसकी समितियों के अन्य कोई अभिलेख।

न्याय पंचायत के समस्त न्यायिक अभिलेख और ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यवाही के अभिलेख निरीक्षण के लिए उपलब्ध होते है।[90] दीवानी, फौजदारी या राजस्व संबंधी मुकदमें, जो कि न्याय पंचायत में विचाराधीन हों या जिन पर निर्णय हो चुका है, के अभिलेख, संबंधित किसी भी पक्ष के द्वारा निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकता है। कोई अन्य व्यक्ति जो अभिलेख का निरीक्षण करना चाहता है, उसे निराकृत प्रकरण की स्थिति में न्याय पंचायत के सरपंच तथा लंबित प्रकरण की स्थिति में अभिलेख के निरीक्षण हेतु उस बंच के अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, जिसकी बेंच में मुकदमा विचाराधीन हो। हालांकि, दूसरी स्थिति में आवेदक को अभिलेख के निरीक्षण का कारण बताना होगा।[91] अभिलेख जिन्हें ग्राम पंचायत के कार्यालय में जमा किया जा चुका है, इनका निरीक्षण पूर्व अनुमति लेकर किया जा सकता है। प्रत्येक अभिलेख के निरीक्षण के लिए प्रथम घंटे के लिए 25 पैसे और उसके बाद हर घंटे के लिए 12 पैसे का शुल्क का भुगतान करना होगा। इस शुल्क का भुगतान प्रधान या सरपंच को आवेदन के साथ नगद रुप में किया जाना चाहिए। सरपंच को दिया गया शुल्क ग्राम कोष में जमा किया जाएगा और इस शुल्क की रसीद निर्धारित प्रारुप में हस्ताक्षर के साथ आवेदक को दी जाएगी।[92]

ग्राम पंचायत के अभिलेख प्राप्त करने के लिए एक सादे कागज पर सचिव को आवेदन करना होगा। जब तक इन अभिलेखों को जिला अभिलेखागार में नहीं भेज दिया जाता, तब तक उन्हें प्राप्त किया जा सकता

[89] नियम – 71, उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947
[90] नियम – 74, उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947
[91] नियम – 75, उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947
[92] नियम – 77, उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947। चूंकि अभिलेखों का निरीक्षण सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, तब सूचना का अधिकार के शुल्क नियम लागू होंगे। पहले घंटे के लिए निरीक्षण निःशुल्क रखा जाना और उसके बाद हर 15 मिनट के लिए या उसके भाग के लिए 5 रु. शुल्क लिया जाएगा।

है।[103] ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत द्वारा रखे जाने वाले पंजी और अभिलेखों की सूची तथा उन्हें कब तक रखा जाता है, की जानकारी परिशिष्ट – 8 में संलग्न है। प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत में एक निरीक्षण पंजी (प्रारुप 11) उपलब्ध होगी और व्यक्ति जो अभिलेखों का निरीक्षण करना चाहता है, इस पंजी क 1 से 4 बिंदुओं क विवरण को व्यवस्थित रुप से प्रदान करेगा। नियमों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि, व्यक्ति निरीक्षण के दौरान पेन या स्याही का इस्तेमाल नहीं करेगा। इस नियम की रचना अभिलेखों को नकारात्मक तत्वों द्वारा पहुंचाए जाने वाले संभावित नुकसान से बचाने के लिए की गयी है। हालांकि, निरीक्षण किए जाने वाले अभिलेखों से टिप्पणी लेने हेतु पेन्सिल और कागज का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभिलेखों का निरीक्षण ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत के अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में ही किया जा सकता है।[104]

लम्बित न्यायिक अभिलेखों का निरीक्षण

कानून में यह प्रावधान किया गया है कि फौजदारी, दीवानी या राजस्व सम्बन्धी मामले जिनमें निर्णय ले लिया गया है या अनिर्णित हैं, किन्तु उनके अभिलेख ग्राम पंचायतों में जमा नहीं किये गये है, किसी पक्ष द्वारा निःशुल्क देखे जा सकते है। न्याय पंचायतों के संज्ञेय अपराधों की सूची परिशिष्ट – 10 पेज 72–74 पर दी गई है। यदि मामला अनिर्णित है तो, सम्बन्धित वादी प्रतिवादी के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति इन अभिलेखों को देखना चाहता है, तो उसे पहले सम्बन्धित बेंच के पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। अगर मामले में निर्णय दे दिया गया है, तो न्याय पंचायत के सरपंच की अनुमति लेनी होगी। अभिलेखों का निरीक्षण न्याय पंचायत विभाग में किया जायेगा।

[103] नियम – 75 उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियम वली, 1947
[104] नियम – 80 उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियम वली, 1947

भाग 6 : पंचायत चुनाव के दौरान स्वतः घोषणा

चुनाव लोगों को एक प्रजातांत्रिक अवसर प्रदान करता है कि वे अपनी इच्छा के अनुरूप ऐसे लोगों का चुनाव कर सकें जो उनके हितों की रक्षा व जरूरतों को पूरा कर सकें। स्थानीय स्वशासन प्रक्रिया में निर्वाचन, जनसहभागिता का केन्द्र बिन्दु है। अगर लोग अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों का पूरा प्रयोग करना चाहते हैं, तो सूचना की उपलब्धता अनिवार्य है। अच्छी सूचना रखने वाले मतदाता से उत्तरदायी पंचायत प्रतिनिधित्व एवं सुशासन की अपेक्षा की जा सकती है।

पंचायत निकायों का चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष में होता है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग[105] त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन प्रक्रिया के अन्तर्गत मतदाता सूची तैयार कराने और निर्वाचन कराने के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण के लिये उत्तरदायी है।[106] मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के निर्वाचन सम्बन्धी सभी कार्यों के लिये उत्तरदायी है। वह राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है।[107] तथापि, सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग भी ''लोक प्राधिकारी'' है,[108] क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद– 243 K अंतर्गत प्रावधानित किया गया है और सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया है।

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रारम्भ से नवम एवं 73वां संविधान संशोधन के उपरान्त तीसरा सामान्य निर्वाचन जून से अक्टूबर 2005 में सम्पन्न हुआ।

विभिन्न राज्यों के पंचायत नियमों पर पुनर्विचार करने पर यह प्रकट होता है कि, पंचायत निर्वाचन सम्बन्धी सूचना, विशेषतया मतदाता सूची का बनाना और प्रकाशित करना, निर्वाचन कार्यक्रम का प्रकाशन, उम्मीदवारों का नामांकन, निर्वाचन नतीजे तथा अन्य सूचनाओं का स्वतः प्रसारण किया जाता है।

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का प्रकाशन[109]

पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के लिये प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।[110] प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के संक्षिप्त विवरण के साथ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का प्रकाशन एवं प्रदर्शन सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के सूचना पटल पर करना चाहिये।

मतदाता सूची का प्रकाशन

जैसे ही किसी ग्राम पंचायत के सभी प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्रों की नामावली तैयार हो जाती है, उसे निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी[111] को भेजा जाता है, जो उसके अभिलेख को खण्ड विकास कार्यालय में एक प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध करके और प्रपत्र– 1 में नोटिस प्रदर्शित करके प्रकाशित करेगा। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मुनादी करवाकर या किसी अन्य सुविधाजनक ढंग से इस तथ्य को प्रसारित करेगा कि पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक नामावली प्रकाशित हो गई है और उसकी प्रतियां कार्यालय पर कार्यालय

---

105 उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का कलेक्टर सम्बन्धित सूचना शासकीय गजट में प्रकाशन करता है।
106 अनुच्छेद – 243 K भारतीय संविधान
107 नियम – 4 (2) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994
108 धारा – 2 (h) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
109 नियम – 8 उत्तर प्रदेश पंचायत (सदस्यों के निर्वाचन के लिये प्रादेशिक निर्वाचन नियमावली, 1994)
110 धारा – 12 (ग), उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947
111 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वह अधिकारी है जिसे राज्य सरकार की परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामित किया गया है।

समय के दौरान निःशुल्क निरीक्षण के लिये तीन दिन तक उपलब्ध रहेगी।[112]

मतदाता सूची का रख–रखाव और संरक्षण[113]

राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायत की मतदाता सूची की एक प्रति निर्वाचन पंजीयन अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर अपने कार्यालय में रखी जाएगी। कोई भी व्यक्ति इन दस्तावेजों का निःशुल्क निरीक्षण कर सकता है और शुल्क का भुगतान कर उसकी छायाप्रति प्राप्त कर सकता है। अतिरिक्त रूप में, मतदाता सूची की प्रति जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध होगी, जब तक कि अगली मतदाता सूची ग्राम पंचायत हेतु प्रकाशन नहीं हो जाए जिसकी कीमत निदेशक द्वारा तय की जाएगी। मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद पूर्व की मतदाता सूची को संबंधित खण्ड विकास अधिकारी के पास उतने समय तक के लिये रखी जाएगी, जब तक के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश प्रदान किये जाए। मतदाता सूची को तैयार करना व उसके प्रकाशन से संबंधित समस्त विषय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होंगे।

ग्राम पंचायत[114], क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत[115] के निर्वाचन की सूचना एवं दिनांक का निर्धारण एवं प्रकाशन

इन पंचायतों के सामान्य निर्वाचन की तिथियों का निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिलाधिकारी तिथियों का निर्धारण निम्न प्रकार करता है :

(क) नामांकन पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक, स्थान व समय;
(ख) नामांकन पत्रों की जांच का दिनांक, स्थान व समय;
(ग) उम्मीदवारों से नाम वापस लेने का दिनांक, स्थान व समय;
(घ) दिनांक और समय जिसके बीच मतदान होगा।

इस प्रक्रिया के निर्धारण के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा नये तिथियों, स्थान एवं समय की सूचना प्रकाशित करने का दायित्व निर्वाचन अधिकारी[116] का होगा।

क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष की निर्वाचन सूचना का प्रकाशन

क्षेत्र पंचायत के प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के नामांकन दाखिल करने सम्बन्धी सूचना के जारी होने के बाद निर्वाचन अधिकारी हिन्दी में चुनाव सम्बन्धी सूचना जारी करेगा और उसकी एक प्रति अपने कार्यालय व दूसरी प्रति विकास खण्ड / जिला मुख्यालय के उचित स्थान पर प्रदर्शित करेगा।[117] इसके अतिरिक्त, यह कार्य करने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निर्वाचित होने वाले सदस्यों की सूची बना ली गई है और उसे उनके कार्यालय, जिलाधिकारी के कार्यालय एवं अन्य उचित स्थानों पर प्रदर्शित भी कर दिया गया है।[118]

[112] नियम – 8 उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली 1994 एवं नियम –28 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994
[113] नियम – 23 उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994
[114] नियम – 14, उत्तर प्रदेश (सदस्यों, प्रधान और उप प्रधान का निर्वाचन) नियम 1994
[115] नियम–15 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत (सदस्य का निर्वाचन) नियमावली, 1994
[116] निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार का एक अधिकारी है जिसको नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है।
[117] उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, प्रमुख एवं उप–प्रमुख, अध्यक्ष / उपाध्यक्ष का निर्वाचन एवं निर्वाचन याचिका नियम –5 एवं 6 [illegible] नियमावली, 1994
[118] नियम–7 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुखों एवं उप–प्रमुखों का निर्वाचन एवं झगड़ों का निपटारा) नियमावली, 1994

त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के मतदान की सूचना का प्रकाशन [119]

मतदान स्थल के बाहर और अन्दर दोनो स्थानों पर निम्न सूचनाये प्रदर्शित की जानी चाहिये:

(क) एक नोटिस जिसमें मतदान क्षेत्र, जिसके निर्वाचक इस मतदान स्थल पर वोट डालेंग;

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रति।

निर्वाचन सम्बन्धी कागजों का निरीक्षण[120]

मतदान पत्रों वैध, रद्द किये गये या निविदत्त[121] (tendered) सहित निर्वाचन सम्बन्धी सभी कागजात, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी के अभिरक्षण में रखी जाती है। इन्हें व्यक्ति द्वारा तभी देखा जा सकता है अथवा किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के सामने केवल तभी प्रस्तुत किया जा सकता है, जब किसी सक्षम न्यायालय या निर्वाचन याचिका की सुनवाई कर रहे जिला जज द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई हो।

निरीक्षण एवं प्रति प्राप्त करने की फीस

1.	निर्वाचन प्रपत्र का निरीक्षण (मतदान पत्र व मतदाता सूची)	2 रुपये प्रतिदिन
2.	निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कागजात	20 रुपये प्रतिदिन
3.	प्रस्तुत विवरणी प्रतियां	20 रुपये प्रतिदिन
4.	प्रस्तुत विवरणी का निरीक्षण	2 रुपये प्रतिदिन

निर्वाचन अधिकारी को यह दायित्व दिया गया है कि निर्वाचन नतीजों को जिलाधिकारी को प्रस्तुत कर देने के बाद सारे विवरणों (Statement) को जिला पंचायत अधिकारी को प्रस्तुत कर दें। इनका निरीक्षण भी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर फीस देकर किया जा सकता है। इन कागजातों की प्रतियां प्राप्त करने के लिये सादे कागज पर प्रार्थना पत्र देना होगा।

[119] नियम–27 उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 एवं नियम – 28 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994

[120] नियम – 68 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994

[121] टेन्डर वोट एक मतदाता का वह वोट है जिसे उसके नाम से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा डाल दिया गया हो। निर्वाचन नियमावली के नियम 48 [illegible] के अनुसार मतदाता को [illegible] [illegible]

निष्कर्ष

पंचायती राज संस्थाओं की सूचना उपलब्ध कराने के लिये पंचायती राज अधिनियम में निश्चित प्रावधान दिये गये हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि, पंचायत राज अधिनियम में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि लोगों को ग्राम सभा की बैठकों से स्वतः सूचना मिलती रहे। इन बैठकों में लोगों को न केवल जानकारी मिलती रहती है, वरन उन्हें ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली के बारे में जानने का अवसर मिलता है और वे ग्राम पंचायतों के आय–व्यय के सम्बन्ध में प्रश्न भी पूछ सकते हैं एवं बजट पर अपनी स्वीकृति भी दे सकते हैं। इस अधिनियम में त्रि–स्तरीय पंचायतों को लोगों को कतिपय प्रमुख सूचनायें देने का दायित्व भी दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात् नागरिकों को पंचायती राज संस्थाओं से सूचना प्राप्ति का एक अन्य माध्यम भी मिल गया है। यद्यपि पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं से सूचना प्राप्ति का एक सरल एवं सस्ता माध्यम उपलब्ध है, फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम में भी यह प्रावधान किया गया है कि एक निश्चित अवधि में लोक सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध करायेगा। सूचना न देने पर इस अधिनियम में सम्बन्धित अधिकारी पर जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा रखी जाने वाली सूचना प्राप्त करने में समर्थ बनाता है, जो उन्हें अब तक सम्भव नहीं था।

सूचना का अधिकार अधिनियम, विशेषतया सूचना प्राप्ति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम से कहीं अधिक प्रभावशाली है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के लागू होने के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं द्वारा रखे जाने वाले सभी अभिलेखों को देखा जा सकता है, क्योंकि इन अभिलेखों में ऐसे कोई अभिलेख नहीं है जिन्हें इस अधिनियम की धारा– 8 के अन्तर्गत प्रकट करने की मनाही की गई है। इसके अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा– 22 में यह स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम का प्रभाव अन्य सभी अधिनियमों / कानूनों (पंचायत राज अधिनियम सहित) से ज्यादा है।

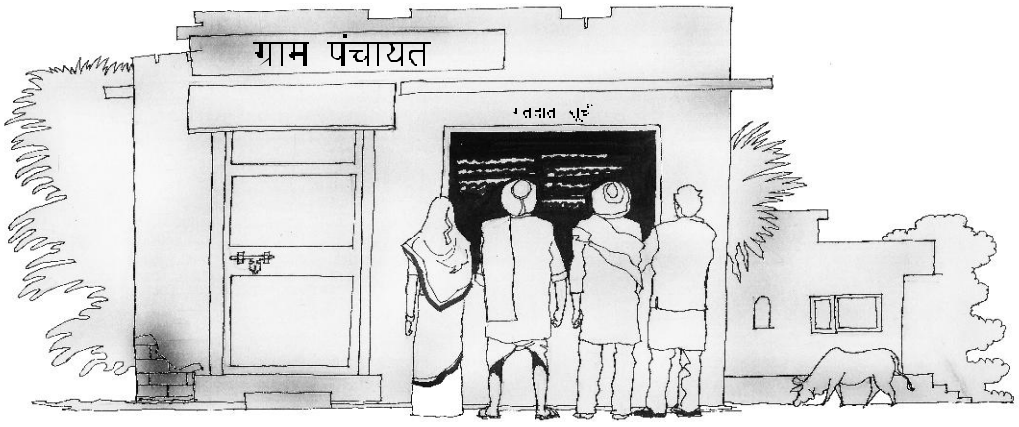

परिशिष्ट –1

उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशालय पर रखे उपलब्ध अभिलेख

स. क्र.	अभिलेख का प्रकार	अभिलेख का नाम एवं संक्षिप्त परिचय	अभिलेख प्राप्ति प्रक्रिया	अभिलेख[14] रखने का प्रभारी अधिकारी
1.	प्रशासनिक	निदेशालय के संवर्ग–3 एवं 4 के कर्मचारियों संबंधी अभिलेख	निदेशक, पंचायती राज को प्रार्थना पत्र देकर। जन सूचना अधिकारी संयुक्त निदेशक को सूचना का अधिकार, 2005 के अंतर्गत प्रार्थनापत्र देकर	अपर निदेशक (प्रशासन)
		जिला स्तरीय अधिकारियों / कर्मचारियों,सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों से संबंधित अभिलेख;	– तदैव	– तदैव
2.	वित्तीय	• प्रस्तावित एवं वर्तमान बजट में कोष के आवंटन सम्बन्धी अभिलेख, • कर्मचारियों के प्राविडेंट फण्ड संबंधी अभिलेख; • बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर पंचायती राज संस्थाओं को धनराशि आवंटन संबंधी अभिलेख, • राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर पंचायती राज संस्थाओं को धनराशि आवंटन संबंधी अभिलेख।	– तदैव	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
3.	ग्राम पंचायत संबंधी अभिलेख	• ग्राम पंचायतों का गठन, प्रादेशिक क्षेत्रों का परिसीमन, पदों का आरक्षण; • ग्राम पंचायत प्रधानों के खिलाफ प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही; • कृषक बाजारों, मेलों का निर्माण एवं सुधार।	– तदैव	संयुक्त निदेशक
4.	नियोजन संबंधी समस्त अभिलेख	• केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की प्रगति रिपोर्ट; • बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित धनराशि आवंटन संबंधी अभिलेख; • राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित धनराशि आवंटन संबंधी अभिलेख; • पंचायत भवन निर्माण प्रगति विवरण; • अम्बेडकर ग्रामों में किये गये विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट।	– तदैव	उप–निदेशक (पंचायत)

स्रोत : http://www.rti.gov.in /members/uttarpradesh/panchayatiraj/:के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज विभाग द्वारा स्वतः प्रकटीकरण।

[14] उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम एवं तत्सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत अभिलेखों की प्रति हेतु उस अधिकारी को प्रार्थना पत्र देना होगा, जिसको उन्हें रखने का अधिकार सुरक्षित है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) नामित किया जाता है जो इन प्रार्थना पत्रों को प्राप्त करता और निदेशालय द्वारा रखे जाने वाले समस्त अभिलेखों की जांच–पड़ताल करता और लोक सूचना अधिकारी के रूप में प्रदत्त शक्तियों के तहत सम्बन्धित अधिकारियों से अभिलेख प्राप्त प्रार्थियों को उपलब्ध करायेगा।

परिशिष्ट –2

उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक वेतन

पद	पदों की संख्या	वेतनमान (रूपयों में)
निदेशालय	–	–
निदेशक, पंचायती राज विभाग	1	आई.ए.एस.
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	1	पी.सी.एस.
उप–निदेशक (प्रशासन)		
मुख्य वित्त एवं लेखाअधिकारी	1	वित्तीय सेवायें
संयुक्त निदेशक,पंचायत राज निदेशालय	1	12000.00 – 16500.00
जिला पंचायत राज अधिकारी (मुख्यालय)	1	6500.00 – 10500.00
जिला पंचायत राज अधिकारी (मुख्यालय तकनीकी)	1	4500.00 – 7000.00
प्रशासनिक अधिकारी	1	5500.00 – 9000.00
प्रकाशन अधिकारी	1	5000.00 – 8000.00
कार्यालय अधीक्षक	5	5000.00 – 8000.00
आशुलिपिक	1	5500.00 – 9000.00
	3	5000.00 – 8000.00
	1	4500.00 – 7000.00
वरिष्ठ सहायक	20	4500.00 – 7000.00
वरिष्ठ लेखाकार	25	4000.00 – 6000.00
कनिष्ठ लेखाकार	28	3050.00 – 4590.00
अध्यापक (मानदेय पर)	2	3050.00
सफाई कर्मचारी	1	2610.00 – 3540.00
कार्यालय सहायक	2	2610.00 – 3540.00
वंडिल लिफ्टर	1	2610.00 – 3540.00
साइक्लो स्टाइल आपरेटर	1	2610.00 – 3540.00
अर्दली चपरासी	15	2550.00 – 3200.00
माली	2	2550.00 – 3200.00

चौकीदार	2	2550.00–3200.00
सफाई कर्मचारी	1	2550.00–3200.00
मण्डल स्तर :		
उप–निदेशक पंचायत	16	10000.00–15200.00
जनपद स्तर :		
जिला पंचायत राज अधिकारी	70	6500.00–10500.00
सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी	61	4500.00–7000.00
विकासखण्ड स्तर :		
सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	790	4500.00–7000.00
न्याय पंचायत स्तर :		
ग्राम पंचायत अधिकारी	8135	3050.00–4590.00

स्रोत :– उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग का सूचना का प्रकटीकरण : http://www.rti.gov.in /Members/uttarpradesh panchayatiraj-raj :

परिशिष्ट –3(क)

पंचायती राज संस्थाओं को बजट आवंटन (सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय एवं वितरण रिपोर्ट सहित)

पंचायती राज विभाग का वार्षिक बजट (वित्तीय वर्ष 2005–06)

(क) प्रस्तावित बजट

• वेतन मद	रू. 477.73 करोड़
• वित्त आयोग की स्वीकृतियां	रू. 585.60 करोड़
☛ 12वें वित्त आयोग की स्वीकृतियां	रू. 585.60 करोड़
☛ राज्य वित्त आयोग की स्वीकृतियां	रू. 675.00 करोड़
(ख) वर्तमान योजना बजट	रू. 203.71 करोड़

योजनायें

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान : पंचायती राज विभाग केन्द्र प्रायोजित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का संचालन राज्य में करता है। यह योजना 2012 तक चलाई जायेगी। वर्ष 2005–06 में राज्य सरकार द्वारा 129 करोड़ रूपये प्रदान किये गये, जिससे केन्द्र सरकार का अंश रू 50 करोड़ है।

पंचायत भवन निर्माण : के लिये 2005–06 में 27.07 करोड़ रूपया आवंटित किया गया था।

खंडजा/नाली निर्माण : के लिये 2005–06 3178.71 लाख रूपये विशेष निवेश योजना के अंतर्गत अम्बेडकर[57] / ग्रामों में 2005–06 में आवंटित किया गया था।

कृषक बाजार एवं पशु मेला का निर्माण एवं सुधार : के लिये वर्ष 2005–06 में 51.20 लाख रूपये आंवटित किये गये थे।

स्रोत :–http://.rti.gov.in /Members/uttarpradesh/panchayatirajraj/: उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा स्वतः प्रकटीकरण।

[57] अम्बेडकर ग्रामों में मुख्यतः अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं।

विभाग की आयोजनागत एवं अन्य योजनाऐं

केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुभूत आवश्यकता के सृजन, समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने, परिव्यय आधारित कार्यक्रम के स्थान पर मांग आधारित कार्यक्रम चलाए जाने तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकाधिक आच्छादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की मार्गदर्शिका निर्गत की गयी है। इस कार्यक्रम में आई.ई.सी. गतिविधियों, जन–जागृति, वैकल्पिक वितरण प्रणाली द्वारा मांग की पूर्ति और लाभार्थियों की अत्याधिक सहभागिता पर विशेष बल दिया गया है। कार्यक्रम में लाभार्थी की क्षमता और भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कम लागत के शौचालयों पर गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों को योजनान्तर्गत अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है और उच्च लागत के शौचालयों पर कोई अनुदान उपलब्ध नही कराया जाता है। इस कार्यक्रम में मुख्य बल कार्यक्रम के प्रति जनचेतना जागृत करने और अनुभूत आवश्यकता के सृजन पर दिया गया है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के अधिकाधिक परिवार अपने संसाधनों से योजना को अंगीकार करने के लिए आगे आ सकें। प्रदेश के समस्त 70 जनपदों को कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित कर लिया गया है।

1. उद्देश्य :

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवहार अपनाते हुए जीवन की गुणवत्ता में सामान्य सुधार लाना है।

2. आई॰ई॰सी॰ गतिविधियां

सूचना, शिक्षा एवं संचार इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं की आवश्यकता के सृजन के दृष्टिकोण से आई॰ई॰सी॰ गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है। उसमें ग्रामीण जनता की सम्पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित की जानी आवश्यक है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रेरकों के आई॰ई॰सी॰ के लिए मात्राकृत धनराशि से प्रेरकों को प्रोत्साहन की धनराशि दी जाती है। प्रोत्साहन की धनराशि प्रेरक की परफार्मेन्स पर आधारित होगी और इस हेतु प्रेरक द्वारा ग्राम वासियों को इस हद तक प्रेरित किया जायेगा कि वह शौचालय का पूर्ण निर्माण कराने के उपरान्त उसका प्रयोग भी करें तथा साफ–सफाई रखें।

3. ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्र / उत्पादन केन्द्र

ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्र ऐसा केन्द्र है जहां से शौचालय निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के साथ–साथ स्वच्छता से जुड़ी अन्य सामग्री भी ग्रामीणों को एक स्थान पर उपलब्ध हो सके। यह एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान है परन्तु इसका उद्देश्य सामाजिक है।

ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्र स्थापित किय जाने की परिकल्पना स्वच्छता कार्यक्रम स जुड़ी सामग्री, तकनीकी मार्गदर्शन एवं अन्य सुविधायं स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के सहज उप्योग को ध्यान मं रखत हुए की गयी हे। ऐसे केन्द्र स्थापित किय जान के पीछे उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रां में इन केन्द्रां की स्थापना कर स्वच्छता स सम्बन्धित सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप उत्पादन केन्द्र एवं ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्र की स्थापना की जाती है। ऐसे केन्द्रों पर अधिकतम 3.5 लाख प्रति केन्द्र की दर से धनराशि औचित्यपूर्ण कार्यों के लिए उपलब्ध करायी जाती है।

4. व्यक्तिगत शौचालय निर्माण।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक पूर्ण व्यक्तिगत शौचालय में सुप्र स्ट्रक्चर रहित बेसिक लो कास्ट युनिट (बी॰एल॰सी॰यू॰) का निर्माण कराया जाता है।

भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के अनुसार प्रति शौचालय फंडिंग पैटर्न निम्न प्रकार अनुमन्य है:–

व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु फंडिंग पैटर्न निम्नप्रकार कर दिया गया है:–

	बी॰पी॰एल॰ परिवार	ए॰पी॰एल परिवार
केन्द्रांश	900	–
राज्यांश	300	–
लाभार्थी अंश	400	400
ग्राम पंचायत के माध्यम से	300	1500
प्रोत्साहन की धनराशि		
योग	1900	1900

ग्राम पंचायतों द्वारा लाभार्थियें को दी जाने वाली विशेष प्रोत्साहन की धनराशि शौचालय के कक्ष निर्माण हेतु निर्धारित है। शौचालय निर्माण की समस्त धनराशि ग्राम पंचायतों के माध्यम से लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाती है।

5. सामुदायिक शौचालय काम्पलेक्स।

कर्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय काम्पलेक्स का निर्माण किया जा सकता है, परन्तु इसक रख–रखाव के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। सामुदायिक शौचालय का निर्माण कवल उन ग्राम पंचायतां में किया जा सकता है जहां या तो बाजार, मेला आदि लगता हो या कई परिवारों क पास शौचालयों निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हो।

6. स्कूल स्वच्छता एवं आंगनवाड़ी स्वच्छता

ग्राम की स्वच्छता प्राथमिक विद्यालयों से ही प्रारम्भ की जाएगी। बच्चों में नये विचारों के प्रति अति संवेदनशीलता के कारण उन्हें स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करने एवं शिक्षित करने में विद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। छात्रों एवं छात्राओं के लिए अलग–अलग इकाईयों का निर्माण कराया जाना है। शौचालयों के निर्माण में विद्यालय के प्राधानाध्यापक एवं अभिभावकों की भी सहभागिता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्कूल शौचालयों के निर्माण के उपरान्त उसके रख–रखाव का दायित्व भी सम्बन्धित विद्यालय का है। एक शौचालय की लागत रू॰ 20000/– तक निर्धारित है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र में बाल मैत्रिक शौचालय बनाने का प्राविधान किया गया है जिसमें ईकाई लागत रू॰ 5000/– है।

7. विशेष प्राविधान

कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अनुसूचित जाति/जन जाति के परिवारों को प्राथमिकता प्रदान करत हुए व्यक्तिगत शौचालयों का कम से कम 25 प्रतिशत अंश अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु मात्राव्रत किया गया है। इसी प्रकार 3 प्रतिशत व्यक्तिगत शोचालयों का निर्माण विकलांगों हेतु किया गया है। संस्थागत शौचालयों का निर्माण इस प्रकार किया जायेगा कि विकलांग व्यक्ति भी इस सुविधा का उपभोग कर सके।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान – प्रगति

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान प्रदेश में वर्ष 1999–2000 से भारत सरकार के वित्त पोषण से संचालित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों को चयनित किय जा चुका है।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत प्रारम्भ स माह मार्च 2007 तक चयनित 70 जनपदों हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में कुल रू॰ 41412.90 लाख की धनराशि एवं प्रदश सरकार द्वारा राज्यांश क रूप में रू॰ 13927.76 लाख तथा विशेष प्रोत्साहन योजना क रूप में रू॰ 19383.17 लाख रू॰ अवमुक्त किया गया है। कुल उपलब्ध धनराशि रू॰ 74723.83 लाख में स माह मार्च 2007 तक रू 53762.45 लाख व्यय कर कुल 52,45,856 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया गया जिसमं स 28,95,175 व्यक्तिगत शौचालय बी॰पी॰एल॰ परिवारों के लिए अनुदान एवं प्रोत्साहन की धनराशि से तथा 23,50,681 व्यक्तिगत शौचालय ए॰पी॰एल॰ परिवारां द्वारा अभियान के अन्तर्गत प्रेरित होकर स्वयं के धन से बनवाया गया। उक्त क अतिरिक्त 765 महिला शौचालय काम्पलेक्स तथा 38,359 स्कूल शौचालयों का निर्माण कराया गय है।

बारहवॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर अनुदान

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर वर्ष 2005–06 से 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष रू॰ 58560.00 लाख की दर से धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत है। वर्ष 2006–2007 में 58560.00 लाख का आय व्ययक का प्राविधान था जिसके सापेक्ष 29280.00 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त की गई है। अवमुक्त धनराशि

70:10:20 के अनुपात में क्रमशः ग्राम पंचायतों को रू॰ 17922.54 लाख, क्षेत्र पंचायतों को रू॰ 2255.20 लाख तथा जिला पंचायतों को रू॰ 5738.26 लाख एंव डेटाबेस मैनेजमेंट एवं कम्प्यूटराइजेशन हेतु रू॰ 3364.00 लाख अवमुक्त किया गया है। द्वितीय किश्त की धनराशि निर्वाचन आचार संहिता क कारण प्राप्त नही है।

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर अनुदान

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर संक्रमित धनराशि ग्राम पंचायतों द्वारा सार्वजनिक सम्पत्तियों के अनुरक्षण, प्रकाश व्यवस्था, नलकूप तथा हैण्डपम्प की मरम्मत, जल निकासी की व्यवस्था आदि पर व्यय की ज ती है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2006–2007 में रू 117520.00 लाख क आय–व्ययक प्राविधान है, जिसके सापेक्ष रू॰ 117520.00 लाख पंचायतों को अवमुक्त किया गया है।

अम्बेडकर/समग्र ग्रामों में खंडजा नाली निर्माण

वर्ष 2006–07 में अम्बेडकर/समग्र ग्रामों में खण्डजा नाली निर्माण हेतु रू॰ 3314.28 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष रू॰ 3314.28 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। 31 मार्च 2007 तक रू॰ 3314.27 लाख व्यय करते हुए 1100 किमी खण्डजा नाली का निर्माण कराया जा चुका है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत नाली निर्माण

ग्रामीण क्षेत्रों में गन्दे पानी के निस्तारण एंव पर्यावरण की स्वच्छता हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण आबादी में भूमिगत नालियों का ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्माण कराए जाने की नई याजना 2006–07 स प्रारम्भ की गई है। इस याजना के अधीन रू॰ 165 प्रति रनिंग मीटर की लागत अनुमन्नित है जिसमें स 10% ग्राम पंचायत द्वारा अंशदान क रूप मं वहन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत नाली की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2006–07 मं व्यय हेतु रू॰ 2248.53 लाख का आय–व्ययक प्राविधान है जिसके सापेक्ष रू॰ 2246.81 लाख का व्यय किया गया है।

पंचायत भवन का निर्माण

ग्राम पंचायतों के कार्यालयों, उनकी बैठकों के आयोजन तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके आवास की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत भवनों के निर्माण कराया जाता है। वर्ष 2006–07 के लिए रू॰ 4999.50 लाख का आय–व्ययक प्राविधानित है जिसके 1801 पंचायत भवनों के निर्माण कराया ज ना था। माह मार्च 2007 तक कुल रू॰ 4987.45 लाख व्यय करके 1410 पंचायत भवन का निर्माण कर या जा चुका है।

ग्रामीण किसान बाजारों एवं पशु बाजारों का विकसितिकरण/निर्माण

वर्ष 2004–05 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नई योजना के रूप में किसान बाजार एवं पशुहाटों को चयनित

कर विकसित करने की योजना प्रारम्भ की गयी है। चयन में सबसे अधिक वार्षिक आयक–जायक (टर्न आवर) एवम् अधिक से अधिक दिन लगने वाली हाटपैठों को वरीयता दी जाती है। केवल ऐसी हाटपैठों एवम् पशुपैठों को चयनित किया गया है जो पंचायत की भूमि पर लगती हों। निर्माण लागत का 10 प्रतिशत अंश सम्बन्धित पंचायत द्वारा तथा शेष 90 प्रतिशत योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से वहन किया जा रहा है। वर्ष 2004–2005 में 4275.00 लाख रूपये की धनराशि का आय–व्ययक प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष 4275.00 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त की गयी एवं 697 किसान बाजारों एवं 26 पशुहाटों का निर्माण कराये जाने की स्वीकृति दी गयी जिसके सापेक्ष 696 किसान बाजारों एवं 26 पशुहाटों का निर्माण कराया जा चुका है, तथा 4264.50 लाख रूपये का उपभोग किया जा चुका है।

वर्ष 2005–2006 में उक्त योजना के अन्तर्गत 51.20 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया, जिसके सापेक्ष 51.20 लाख रूपये अवमुक्त किये गये तथा 4 किसान बाजारों एवं 3 पशुहाटों के निर्माण के लक्ष्य के समक्ष अब तक 4 किसान बाजार एवं 3 पशुहाटों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है तथा 51.20 लाख रूपये का उपभोग किया जा चुका है।

वर्ष 2006–2007 के लिए उक्त योजना के अन्तर्गत 180.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान है, जिसके सापेक्ष 180.00 लाख रूपये अवमुक्त किये गये तथा 27 किसान बाजारों एवं 5 पशुहाटों के निर्माण के लक्ष्य के समक्ष अब तक 25 किसान बाजारों एवं 5 पशुहाटों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है तथा 170.00 लाख रूपये का उपभोग किया जा चुका है।

स्रोत :– पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार – http:/ panchayatiraj.up.nic.in/pdf work-yojana.pdf

प्रारूप – 8
कार्यवाही का प्रारूप

दिनांक	उपस्थित पंचो/सदस्यों के नाम	प्रस्ताव संख्या	चर्चा के विषय	पंच सदस्यों के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान
1	2	3	4	5

टिप्पणी :– प्रधान और सचिव कार्यवाही के अंत में हस्ताक्षर करेंगे।

परिशिष्ट –5

ग्राम पंचायतों द्वारा टैक्स व फीस लगाना

बिंदु (क) और (ख) में वर्णित शुल्क लगाना ग्राम पंचायत की बाध्यता है। इसके अतिरिक्त अन्य बिंदुओं के अंतर्गत कर, शुल्क या दर निर्धारित कर प्राप्त करना, ग्राम पंचायत के विवेक पर निर्भर करता है।

(क) उन क्षेत्रों में जहां उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 जौनसार बावर जमींदारी–विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 अथवा कुमायू तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 के अधीन मध्यवर्ती के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिये गये हों भूमि पर उसके लिये देय अथवा समझी जाने वाली भू–राजस्व की धनराशि पर प्रति रूपया कम से कम पच्चीस पैसे किंतु ज्यादा से ज्यादा पचास पैसे का कर लगा सकती है;

(ख) खंड (क) में उल्लिखित क्षेत्रों के अतिरिक्त भिन्न क्षेत्रों में भौमिक अधिकार से संबंधित लागू किसी कानून के तहत किसी काश्तकार द्वारा वह कुछ भी कहलाता हो, देय भू–राजस्व की धनराशि पर प्रति रूपया कम से कम पच्चीस पैसे किंतु ज्यादा से ज्यादा पचास पैसे का कर लगा सकती है;

(ग) प्रेक्षागृह, चलचित्र (सिनेमा) अथवा इसी प्रकार के मनोरंजन कार्य, जो अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आये हुए हो पर कर;

(घ) ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रखे हुये और किराये पर चलाये जाने वाले यंत्रचलित वाहनों से भिन्न वाहनों तथा पशुओं पर उसके स्वामियों द्वारा देय कर लगा सकती है, जो निम्नलिखित दर से होगा :–

(एक) पशुओं के संबंध में प्रति पशु 3 रूपये वार्षिक से अधिक न होगा;

(दो) वाहनों के संबंध में प्रतिवाहन 6 रूपये वार्षिक से अधिक न होगा;

(ङ.) उन व्यक्तियों से, जिन पर खंड (ग) के अधीन कोई कर लगाया गया हो, भिन्न व्यक्तियों पर कर लगा सकती है, जो ऐसे बाजारों, हाटों अथवा मेलों में बिक्री के लिये सामान प्रदर्शित करें, जो संबंधित ग्राम पंचायत के स्वामित्व या नियंत्रण में हों;

(च) उन पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क लगा सकती है, जो ऐसे बाजार अथवा भूमि पर बेचे गये हो, जो ग्राम पंचायत के स्वामित्व में या उसके नियंत्रण में हों;

(छ) वधशालाओं और पड़ाव की भूमि के प्रयोग के लिये शुल्क लगा सकती है;

(ज) जल शुल्क—जहां ग्राम सीमा द्वारा घर के उपयोग के लिये जल इकट्ठा किया जाता हो और;

(झ) यदि ग्राम पंचायत की किसी एजंसी द्वारा निजी शौचालय या नालियों की सफाई की जा रही हो, तो उस पर कर;

(ञ) सड़कों की सफाई और उन पर रोशनी और स्वच्छता के लिये कर;

(ट) जहां ग्राम पंचायतो द्वारा सिंचाई के प्रयोजनार्थ छोटी सिंचाई की परियोजना जल एकत्रित करने हेतु बनायी गयी या अनुरक्षित की गयी हो, की कोई सिंचाई दर।

ग्राम पंचायतों के कार्य [124]

ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी राज्य सरकार, समय–समय पर तय करें, ग्राम पंचायत निम्नलिखित कार्य करेगी :

(1) कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है :

(क) कृषि और बागबानी का विकास और उन्नति;

(ख) बंजर भूमि और चरागाह भूमि का विकास और उनके अनाधिकृत संक्रमण और प्रयोग की रोकथाम करना।

कृषि से सम्बन्धित ग्राम स्तरीय कार्य अब ग्राम पंचायतों के नियंत्रण में किये जायेंगे।

(2) भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण :

(क) भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण मे सरकार और अन्य एजेंसियो की सहायता करना;

(ख) भूमि चकबंदी में सहायता करना।

(3) लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और आच्छादन विकास :

(क) लघु सिंचाई परियोजना से जल वितरण में प्रबंध और सहायता करना;

(ख) लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, सिंचाई के उद्देश्य से जलापूर्ति का विनियमन।

(4) पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन :

(क) पालतू जानवरों, कुक्कुटों और अन्य पशुधनों की नस्लों का सुधार करना;

(ख) दुग्ध उद्योग, कुक्ककुट पालन, सुअर इत्यादि की उन्नति।

पशुधन विभाग के "पशु सेवा केन्द्र" तथा 'द' श्रेणी के पशु चिकित्सालय एवं इनमें नियुक्त कर्मचारियों को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया गया है।

(5) मत्स्य पालन :

गांवो में मत्स्य पालन का विकास।

---

[124] धारा – 15 उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947

(6) सामाजिक और कृषि वानिकी :

(क) सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण;

(ख) सामाजिक और कृषि वानिकी और सेरीकल्चर उत्पादन का विकास और उन्नति।

(7) लघु वन उत्पाद :

लघु वन उत्पादों की उन्नति और विकास।

(8) लघु उद्योग :

(क) लघु उद्योगों के विकास में सहायता करना;

(ख) स्थानीय व्यापारों की उन्नति।

(9) कुटीर ग्राम उद्योग :

(क) कृषि और वाणिज्यिक उद्यागों के विकास में सहायता करना;

(ख) कुटीर उद्योगों की उन्नति।

(10) ग्रामीण आवास :

(क) ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन;

(ख) आवास स्थलों का वितरण और उनसे संबंधित अभिलेखों का अनुसरण।

(11) पेय जल :

पीने, कपड़ा धोने, स्नान करने के प्रयोजनों के लिए जल संरक्षण के लिए सार्वजनिक कुओं, तालाबों और पोखरों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण और पीने के लिये जल संभरण के स्रोतों का विनियमन।

राजकीय नलकूपों को जुलाई 1999 में ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित करते हुए उन्हें पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन कर दिया गया था। किन्तु तदुपरांत उन्हें जुलाई 2005 में सिंचाई विभाग को वापस कर दिया गया।

हैण्ड पम्प :

सभी विद्यमान और नये हैण्ड पम्प ग्राम पंचायतों की सम्पत्ति हो गये हैं। हैण्ड पम्पों की मरम्मत और रख–रखाव के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार धनराशि सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाती है।

(12) **ईंधन और चारा भूमि :**

(क) ईंधन और चारा भूमि से संबंधित घास और पौधों का विकास;

(ख) चारा भूमि के अनियमित स्थानान्तरण पर नियंत्रण।

(13) **सड़कें, पुलिया, पुलों, नौकाघाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन :**

(क) ग्राम की सड़कों, पुलियों, पुलों और नौकाघाटों का निर्माण और अनुरक्षण;

(ख) जलमार्गों का अनुरक्षण;

(ग) सार्वजनिक स्थानों पर से अतिक्रमण को हटाना।

(14) **ग्रामीण विद्युतीकरण :**

सार्वजनिक मार्गों और स्थानों पर प्रकाश उपलब्ध कराना और अनुरक्षण करना।

(15) **गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत :**

ग्राम में गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों का विकास, उन्नति और उनका अनुरक्षण।

(16) **गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम :**

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की उन्नति और कार्यान्वयन।

(17) **शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी है :**

शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना। ग्राम पंचायतों को प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा के कार्य हस्तान्तरित किये गये हैं। ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन अब ग्राम पंचायत की सम्पत्ति हो गये हैं।

(18) **तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा :**

ग्रामीण कला और शिल्पकारी की उन्नति ।

(19) **प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा :**

प्रौढ़ साक्षरता की उन्नति ।

(20) **पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना और अनुरक्षण :**

पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना और अनुरक्षण।

(21) **खेलकूद, और सांस्कृतिक कार्य :**

(क) सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों की उन्नति;

(ख) विभिन्न त्योहारों पर सांस्कृतिक संगोष्ठियों का आयोजन;

(ग) खेलकूद के लिये ग्रामीण क्लबों की स्थापना और अनुरक्षण।

युवा कल्याण, अखाड़ा, व्यायामशाला, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल तथा खेलकूद सम्बन्धी कार्यों का संचालन अब ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है।

(22) **बाजार और मेले :**

पंचायत क्षेत्रों में मेलों, बाजारों और हाटों का विनियमन।

(23) **चिकित्सा और स्वच्छता :**

(क) ग्रामीण स्वच्छता की उन्नति;

(ख) महामारियों के विरूद्ध रोकथाम;

(ग) मनुष्य और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम;

(घ) खुले पशु और पशुघ्न के विरूद्ध निवारक कार्यवाही;

(ङ) जन्म, मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रीकरण।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से सम्बन्धित ग्राम स्तरीय सभी कार्य ग्राम पंचायतों के पूर्ण नियंत्रण में सम्पादित किये जायेंगे। ग्राम स्तर पर स्थित ''मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र'' ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दिये गये हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) तथा दाई भी ग्राम पंचायत के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करेंगी।

(24) **परिवार कल्याण :**

परिवार कल्याण कार्यक्रमों की उन्नति और क्रियान्वयन।

(25) **आर्थिक विकास के लिये योजना :**

(26) **प्रसूति और बाल विकास :**

(क) ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भाग लेना;

(ख) बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की उन्नति।

महिला एवं बाल विकास के समस्त ग्राम स्तरीय कार्य ग्राम पंचायतों के पूर्ण नियंत्रण में संपादित किये जायेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं को ग्राम पंचायतों के नियंत्रण में कर दिया गया है।

(27) समाज कल्याण जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है :

(क) वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं मे सहायता करना;

(ख) विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण कार्यक्रमों म भाग लेना।

(28) कमजोर वर्गों और विशेष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण :

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों में भाग लेना;

(ख) सामाजिक न्याय के लिये योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन।

(29) सार्वजनिक वितरण प्रणाली :

(क) अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में सार्वजनिक चेतना की उन्नति;

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुश्रवण।

(30) सामुदायिक सम्पत्ति का संरक्षण :

सामुदायिक सम्पत्ति का रखरखव और संरक्षण इन कार्यदायित्वों के अतिरिक्त ग्राम पंचायत प्रति वर्ष पंचायत क्षेत्र के लिये एक विकास योजना तैयार करेगी और उसे संबंधित क्षेत्र पंचायत को, ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रारूप और रीति मे जैसा सौंपे त्य की जाय, भेजेगी[125]। कार्य अतिरिक्त रूप में, राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को कुछ अन्य निम्न कार्य सौंपे जा सकते है[126]:–

(क) पंचायत क्षेत्र में स्थिति किसी वन का प्रबंधन और संरक्षण;

(ख) पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित सरकार की बंजर भूमि, चारागाह भूमि या खाली पड़ी भूमि का प्रबंधन;

(ग) किसी कर या भू–राजस्व का संग्रह और संबंधित अभिलेखों का प्रबंधन।

[125] नियम – 63, उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947

[126] नियम – 205 उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947

प्रारूप–पत्र सांख्या–1
वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष.....ग्राम पंचायत.....न्याय पंचायत.....
पंचायत निरीक्षक (वृत्त).....तहसील.....जिला .....

1	2	3	4
ब्यौरा	गत वर्श की सांख्या (यदि मालूम हो)	वर्तमान वर्श की संख्या	टिप्पणी
1.शिक्षा (क) अशिक्षित प्रौढ़ों की संख्या जो कि शिक्षित किय गये हों (पुरूष) (स्त्री) (ख) एसे ग्रान पंचायत के सदस्यों की संख्या जो कि अशिक्षित से शिक्षित किय गये हों (ग) प्रौढ़ो के स्कूलों की संख्या – (1) जिनका पूरा प्रबंध ग्राम सभा करती हो (2) जिनको ग्राम सभा सहायता देती हो (घ) लड़के व लड़कियां के प्राइनरी स्कूलों की संख्या – (1) जिनका पूरा प्रबंध ग्राम सभा करती हो (2) जिनको ग्राम सभा सहायता देती हो			
2.वाचनालय व पुस्ताकालय व लाइब्रेरी (क) पुस्कालयों की संख्या – (1) जिनका पूरा प्रबंध ग्राम सभा करती हो (2) पुस्ताको की संख्या (3) जिनको ग्राम सभा सहायता देती हो (4) पुस्ताको की संख्या (ख) वाचनालय (रीडिंग रूम) की संख्या – (1) जिनका पूरा प्रबंध ग्राम सभा करती हो			

1	2	3	4
(2) सगाचार–पत्र व पत्रिकाओं की संख्या (3) जिनको ग्राम सभा सहायता देती हो (4) समाचार–पत्र व पत्रिकाओं की संख्या			
3. रेडियो (क) ग्राम सभा द्वारा खरीद किये गये रेडिया की संख्या (ख) ऐसे रेडियो की संख्या जो कि जनता से रुपये के रकीम के अधीन स्थापित किये गये हों (ग) दान में प्राप्त किये गये रेडियो की संख्या; (घ) निजी रेडियो की संख्या;			
4. सफाई (क) साफ किए गये घूरों (कुड़ियों) की संख्या (ख) भरे हुए गढ्ढों की संख्या (ग) साफ की हुई नालियों की संख्या व गजों में लंबाई (घ) ऐसे कम्पोस्ट गढ्ढों की संख्या जो खोदे गये हों			
5. चिकित्सा (क) दवाखानों या औषधालयों की संख्या – (1) जिनको पूर्णतया ग्राम सभा चलाती हो (2) रोगियो की संख्या, जिनकी चिकित्सा की गई हों (3) जिनको ग्राम सभा सहायता देती हो (4) रोगियों की संख्या, जिनकी चिकित्सा की गई हों (ख) दवाइयों की पेटियों (बक्सों) की संख्या – (1) जो कि सरकार ने दी हो (2) जो कि ग्राम सभा ने खरीदी हो (3) रोगियो की संख्या, जिनकी चिकित्सा की गई हों (4) दाइयों की संख्या (प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित)			
6. स्वास्थ्य (क) ग्राम सभा द्वारा स्थापित अखाड़ा व			

1	2	3	4
व्यायामशालाओं की संख्या (ख) दैनिक भाग लेने वाले व्यक्तियों का औसत			
7.सड़कों या नालियों का बनाना व मरम्मत करना (क) नयी सड़कें जो बनाई गई हों, (लंबाई मीलों व गजों में पक्की / कच्ची) (ख) कच्ची सड़कें जो बनाई गई हों, (लंबाई मीलों व गजों में) (ग) (1) खंरजा लगाई गई सड़कों की लंबाई (मीलो व गजों में) (2) खंरजा वाली सड़कों की मरम्मत की लंबाई (मीला व गजों में) (घ) पुरानी सड़कों की मरम्मत की लंबाई मीलों व गजों में पक्की / कच्ची (ङ) नालियों की (जों पक्की बनाई गई हो) लंबाई गजों में पक्की / कच्ची (च) कच्ची नालियां की लंबाई (जो बनाई गई हो) गजों में (छ) नालियों की, (जिनकी मरम्मत की गई हो) लंबाई गजों में पक्की / कच्ची			
8.पानी के कुओं की सफाई और मरम्मत (क) कुओं की संख्या पक्का / कच्चा (ख) बनाये गये कुओं की संख्या पक्का / कच्चा (ग) मरम्मत किये गये कुओं की संख्या पक्का / कच्चा (घ) सफाई किये गये कुओं की संख्या पक्का / कच्चा			
9.स्नानगृह या चबूतरे (क) नये बनाये गय स्नानगृह या चबूतरों की संख्या			

1	2	3	4
(ख) मरम्मत किय गये स्नानगृह या चबूतरों की संख्या			
10. पंचायत घर (क) पंचायत घर जो किराये पर हा (ख) जो कि दान में प्राप्त हुए हो, पक्का/कच्चा (ग) जो कि ग्राम सभा ने बनाये हा, पक्का/कच्चा (घ) पंचायत घरं की संख्या जो कच्चे से पक्के हुये हां			
11. गांधी चबूतरे (क) जो कि ग्राम सभा ने बनाये हो, पक्का/कच्चा (ख) एसे गांधी चबूतरों की संख्या जा कच्चे से पक्क बनाये गये हां			
12. रोशनी (क) सड़कों पर लालटनों की संख्या – (ख) (1) पुरानी (2) ऐसी पुरानी लालटेनों की संख्या जो काम के अयोग्या ह गई हो (3) नई लालटनों की संख्या			
13. वृक्षों का लगाना (क) सार्वजनिक जंगल का क्षेत्रफल, (एकड़ में) (ख) सार्वजनिक (कम्युनिटी) फल वाटिकायओं का क्षेत्रफल, (एकड़ में) (ग) नये लगाये वृक्षों की संख्या (सार्वजनिक (जनरल) वाटिकाओं में लगाये गये वृक्षों के अतिरिक्त) (1) फलदार वृक्षों की संख्या (2) अन्य वृक्षों की संख्या (घ) ऐसे वृक्षों की संख्या, जो गतवर्ष लग ये गये, थे और			

1	2	3	4
अब गी जीवित है – (1) फलदार वृक्ष (2) अन्य वृक्ष			
14. नई योजनाएं व अन्य मुख्य विकास कार्य			
15. जन्म व मृत्यु की सूची (क) कुल जनसंख्या (ख) जन्म–संख्या (ग) मृत्यु–संख्या			
16. पशु (क) पंचायत द्वारा रखे गये सांड़ा की संख्या (ख) एसे सांड़ो की संख्या जा कि पशुपालन (एनीमल हस्बेंड्री) विभाग से प्राप्त हुए हो (ग) दान में प्राप्त किये गये सांड़ो की संख्या (घ) पंचायत द्वारा खरीदे गये सांड़ो की संख्या (ड़) पशुओं के प्रयाग में आने वाली दवाइयों की पटियों की संख्या (च) चिकित्सा किये गय पशुओं की संख्या (छ) एसे पशुओं के मेल की संख्या जो कि ग्राम पंचायत ने लगाए हों			
17. विविध (क) पशुओ के चरने के लिये पंचायत द्वारा प्राप्त की गई भूमि का क्षेत्रफल, (एकड़ में) (ख) अन्य सार्वजनिक लाभ के लिए की गई भूमि का पूरे ब्यौरे सहित क्षेत्रफल, (एकड़ में) (ग) दान में प्राप्त की हुई भूमि का क्षेत्रफल, (एकड़ में) (घ) ऐसी बंजर भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में) जो कि पंचायत ने खेती योग्य बनाई हो (ड़) सहकारी समितियों की संख्या			

1	2	3	4
(च) सदस्यों की संख्या (छ) हिस्से की धनराशि			
18. ग्राम सभाओं की संख्या			
19. ग्राम पंचायत की आय (क) कर, शुल्क और उपशुल्क की कुल धनराशि जो कि वसूल होने से बाकी हो (ख) नये टेक्स आदि जो लगाये हो– (1) कर (2) शुल्क (3) उपशुल्क (ग) खण्ड (ख) के मद 1 से 3 तक का कुल योग (घ) खण्ड (क) और (ग) का जोड़ (ङ) छोड़ी गई धनराशि– (1) चालू वर्ष में (2) पिछली बकाया में योग (च) धनराशि जो कि वसूल की जायेगी– (1) चालू वर्ष में (2) पिछली बकाया में योग (छ) कर (शुल्क) और उपशुल्क की वसूल की गई कुल धनराशि का जोड़– (1) चालू वर्ष में (2) पिछली बकाया (3)योग। (ज) अवशेष धनराशि – (1) चालू वर्ष में (2) पिछली बकाया (3) योग (झ) धनराशि जो न्याय पंचायत से प्राप्त हुई (ञ) ग्राम समाज की आय (ट) सेवक के वेतन के अतिरिक्त सरकार से			

1	2	3	4
प्राप्त हुआ धन (ग्रांट) (ठ) धन जो दान में मिला हो– (1) नकद (2) मकान, (उसकी संख्या और अनुमानित मूल्य) (3) पुस्तकें, (उसकी संख्या और अनुमानित मूल्य) (4) भूमि (उसका क्षेत्रफल और मूल्य) (5) अन्य चीजें (उनके ब्यौरे और मूल्य) (6) योग (ड) कोई अन्य आय (ढ) मद छ, झ, ञ, ट, ठ और ड का कुल जोड़			
20. ग्राम पंचायत का व्यय (1) सेवक के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों का वेतन (2) सेवक के आने–जाने का भत्ता और स्टेशनरी का व्यय (3) नये निर्माण कार्यों के बनाने और मरम्मत का व्यय– (क) पंचायत घर (ख) गांधी चबूतरा (ग) सड़क और नाली आदि (घ) कुएं, तालाब और अन्य सिंचाई के कार्य (4) सार्वजनिक फलदार बाग व वन (5) कर वसूल करने का व्यय (6) रोशनी पर व्यय (7) सफाई व स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का व्यय (8) शिक्षा आदि पर व्यय (9) न्याय पंचायत पर व्यय (10) ग्राम समाज पर व्यय (11) अन्य व्यय (ब्यौरे सहित) (12) जोड़			
21. शेष धन का ब्यौरा (1) ग्राम सभा फण्ड जो कि उनके निजी खाते मे हो			

1	2	3	4
(2) सरकारी धनराषि जा मंत्री के वेतन के संबंध में शेष हो (3) ग्राम सभा क फण्ड का रूपया जो प्रधान के पास शेष हा (4) गांव फण्ड का रूपया जो डाकखाने के सेविंग बैंक या सेविंग सर्टीफिकट के रूप मे जमा हो कुल शेष धनराशि			

ग्राम पंचायतो के रजिस्टर एवं अभिलेख तथा उनके रखने की समय–सीमा [127]

ग्राम पंचायत निम्नलिखित रजिस्टर, बही और लेखपत्र रखेगी और प्रत्येक रखे जाने की अवधि के सम्मुख दिये गये समय के अनुसार होगी:–

1	ग्राम निधि का बही खाता	20 वर्ष
2	प्रति पत्रक रसीद बही	5 वर्ष
3	कार्यवाही बही	स्थाई
4	रजिस्टर जिसमें करो और दूसरे साधनों के साथ साथ मांग और वसूलियां दी गयी	10 वर्ष
5	ग्राम पंचायत के पत्र व्यवहार और उसके द्वारा राशि जारी किये गये नोटिसो का रजिस्टर	5 वर्ष
6	निरीक्षण रजिस्टर	3 वर्ष
7	ग्राम पंचायत के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट	10 वर्ष
8	प्रशासन संबंधी लेखपत्रों की प्रतिलिपियों के लिये प्रार्थना–पत्र	1 वर्ष
9	लेखपत्रों के निरीक्षण के लिए प्रार्थना–पत्र	1 वर्ष
10	ग्राम पंचायत के प्रधान, उपप्रधान व सदस्यों के द्वारा शपथ लेने की कार्यवाही के लेखपत्र	4 वर्ष
11	जन्म व मृत्यु और विवाह का रजिस्टर	स्थायी
12	निर्माण कार्यो की प्रगति (प्रोगेस) रिर्पाट	5 वर्ष
13	निर्माण कार्यों की पूर्ति का प्रमाण पत्र	20 वर्ष
14	कर्मचारियों की स्थापना रजिस्टर	40 वर्ष
15	पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तक (आर्डर बुक)	40 वर्ष
16	हिसाब की जांच (आडिट संबंधी रिर्पोट)	40 वर्ष
17	गबन संबंधी रिर्पोट	40 वर्ष
18	कर्मचारियों की नौकरी संबंधी पुस्तक (सर्विस बुल्) व कर्मचारियों की चरित्र संबंधी पुस्तक (कैरेक्टर रोल) (सबंधित कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण करने की तारीख से)	5 वर्ष
19	सार्वजनिक निर्माण कार्या (पब्लिक वर्क्स) का रजिस्टर	स्थायी

[127] नोटः – 64 उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947

20	वार्षिक आय व्यय का अनुमान	5 वर्ष
21	अनुमति क रजिस्टर	10 वर्ष
22	कर निर्धारण क विरूद्ध अपील	5 वर्ष
23	अचल सम्पत्ति का रजिस्टर	स्थायी
24	ग्राम सभा के रजिस्टर भाग 1 व 2 नये तैयार किये जाने के दिनांक से	5 वर्ष
25	उपरोक्त रजिस्टर में नाम लिखे जाने के संबंध में दावे व आपित्तयां ओर उनक निर्णय आदि का रजिस्टर	3 वर्ष
26	निर्वाचन क्षेत्रों की सूची	10 वर्ष
27	पुस्तकालय के पुस्तको की सूची	सदैव
28	प्रधानों, उप–प्रधानों, सदस्यों एवं पंच की सूची	6 वर्ष
29	विविध लेखपत्र (जैसा कि जिला पंचायत अधिकारी आज्ञा दे)	3 वर्ष या उससे अधिक
30	सदस्यों की उपस्थिति का रजिस्टर	6 वर्ष
31	सर्वेक्षण एवं विकास पंजिका	20 वर्ष
32	स्थायी अग्रिम धन का रजिस्टर	10 वर्ष
33	भुगतान किये हुए वाउचर और बिल्स	10 वर्ष
34	वस्तुओं का रजिस्टर (स्टाक बुक)	5 वर्ष
35	रूपपत्र मंगवाने का रजिस्टर (इन्डैट फार्म)	1 वर्ष
36	लेखपत्र भेजने का चालान रजिस्टर	1 वर्ष
37	लेखपत्र की प्रतिलिपियों के लिए प्रार्थना पत्र	1 वर्ष

वाउचर, रजिस्टरों की अवधि [125]

वाउचरों, रजिस्टरां और दूसरे प्रारूपपत्रों को, जो इस नियमों के अधीन निर्धारित किये गये हे, संबंधित अवधि से संन्बद्ध रखने वाले हिसाब की जांच त्रुटियों के ठीक किये जाने के पश्चात नीचे दिये गये ढंग से रखना या छांटना या नष्ट करना चाहिये।

[125] नियम – 206, उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947

क्रं. सं.	प्रारूपपत्र	कब तक रखा जायेगा
1	आय–व्यय का (बजट) अनुमान	5 वर्ष
2	कर निर्धारण की तालिका	5 वर्ष
3	मांग और वसूली का रजिस्टर	10 वर्ष
4	मासिक हिसाब	5 वर्ष
5	साधारण रोकड़ बही	स्थाई
6	रूपयों का चालान	3 वर्ष
7	सिक्यूरिटी बांड (जमानतनामें)	उनका प्रभाव समाप्त होने के 5 वर्ष पश्चात
8	धराहर का रजिस्टर	स्थाई
9	स्टाक बुक	3 वर्ष
10	कर्मचारी वर्ग क वेतन के पत्र (बिल)	3 वर्ष
11	आकस्मिक याउचर	10 वर्ष
12	वार्षिक हिसाब	10 वर्ष
13	रसीदें	3 वर्ष
14	अर्थदण्डों का हिसाब	3 वर्ष
15	सार्वजनिक कार्यों का रजिस्टर	स्थाई
16	प्रारूप पत्रों का मांग पत्र (प्रारूप पत्रों का इन्डेट)	1 वर्ष
17	श्रमिको की दैनिक उपस्थिति का रजिस्टर (मस्टर रोल)	3 वर्ष

न्याय पंचायत द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर

न्याय पंचायत निम्नलिखित रजिस्टर रखेगी और प्रत्येक के रखने की अवधि प्रत्येक के सम्मुख दिये गये समय के अनुसार होगी।[129]

1	दीवानी व फौजदारी मुकदमां क लिए रूपयां की अलग अलग रसीद बहियां	3 वर्ष
2	आज्ञा पत्रां और सम्मनां का रजिस्टर जो कि तामील होने क लिए जारी किए गय हो या भेजे गये हो	3 वर्ष
3	भोजन व्यय की रजिस्टर	3 वर्ष
4	अर्थ–दण्ड का रजिस्टर	3 वर्ष

[129] नियम – 64, उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली, 1947

5	निरीक्षण बही	3 वर्ष
6	न्याय पंचायत के व्योष का बही–खाता	3 वर्ष
7	दीवानी व फौजदारी व माल के मुकदमों की त्रैमासिक रिटर्न	3 वर्ष
8	लेखपत्रों को प्रतिलिपियां क लिए प्रार्थना पत्र	1 वर्ष
9	लेखपत्रों के निरीक्षण क लिए प्रार्थना पत्र	1 वर्ष
10	सरपंच व सहायक सरप्ंच और पंचो के शपथ क लेखपत्र	6 वर्ष
11	दीवानी, फ्लौजदार व राजस्व के मुकदमों के निर्णय संबंधी विलंब के कारणों की रिपोर्ट	3 वर्ष
12	न्याय पंचायतो की बैलकों की तिथियों का प्रक शन	2 वर्ष
13	अंकेक्षण रिपोर्ट	40 वर्ष
14	गबन संबधी रिपार्ट	40 वर्ष
15	वेतन का रजिस्टर	3 वर्ष
16	जमाबन्द नामें	उनकी अवधि से 5 वर्ष
17	कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका और आचरण पत्र	संबंधित व्यक्ति के सेवा निवृत्ति पश्चात् 5 वर्ष
18	भुगतान किये हुए वाउचर और बिल	10 वर्ष
19	वस्तुओ का रजिस्टर (स्टाक बुक)	5 वर्ष
20	कार्ययाहियों का रजिस्टर	20 वर्ष
21	वार्षिक आय व्यय का अनुमान	20 वर्ष
22	बजट का वार्षिक हिसाब	10 वर्ष
23	प्रारुप पत्रों के मांग्ने का रजिस्टर (इन्डेट फार्म)	1 वर्ष
24	अचल सम्पत्ति का रजिस्टर	स्थायी
25	दीवानी, फ्लौजदारी व राजस्व के मुकदमों का मिसिल बंद रजिस्टर	40 वर्ष
26	पुस्तकालयं की पुस्तकों की सूची	नई सूची बनाकर उसकी स्वीकृत होने तक
27	अन्य फुटकर	3 वर्ष या अधिक जैसा कि जिला पंचायत अधिकारी ने आज्ञा दी हो
28	लेखपत्र भेजने की सूची	1 वर्ष

परिशिष्ट –9

जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के अधिकारी/कर्मचारी

ज़िला पंचायत में अधिकारियों के निम्नलिखित पद होगें :– [133]

1 मुख्य अधिकारी
2 अपर मुख्य अधिकारी
3 वित्त अधिकारी
4 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
5 पेयजल अभियंता
6 विकास अधिकारी
7 कार्य अधिकारी
8 अभियंता
9 बेसिक शिक्षा अधिकारी
10 कृषि अधिकारी
11 सहकारिता अधिकारी
12 पशुधन अधिकारी
13 समाज कल्याण अधिकारी
14 ग्रामीण अभियंत्रण अभियंता
15 युवा कल्याण अधिकारी
16 भूमि संरक्षण अधिकारी
17 उद्यान अधिकारी
18 पंचायत राज अधिकारी
19 लघु सिंचाई अभियंता
20 बाल विकास अधिकारी
21 कर अधिकारी
22 मत्स्य अधिकारी
23 गन्ना अधिकारी
24 दुग्ध अधिकारी
25 माध्यमिक शिक्षा अधिकारी
26 नलकूप अभियंता

उपर्युक्त वर्णित पदों के अतिरिक्त जिला पंचायत अतिरिक्त अभियंता एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी को सम्मिलित करते हुए अन्य पद भी सृजित कर सकती है।

[133] धारा 33, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961. जिला पंचायत अधिकारी के पद दो श्रेणी में होते हैं, जिसमें एक श्रेणी सरकारी कर्मचारियों द्वारा और दूसरी श्रेणी जिला पंचायत के [illegible] द्वारा भरी जाती है।

न्याय पंचायतों द्वारा संज्ञान मे लिए जाने वाले अपराध [131]

निम्नलिखित अपराध और उनके प्रेरक तथा उनके करने के प्रयास यदि किसी न्याय पंचायत के अधिकार क्षेत्र में किया जाए तो वह उसी न्याय पंचायत द्वारा हस्तक्षेप की जाएगी :–

(क) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 140,160,172,174,179,269,277,283,285,289,290,294,324, 334,341,352,357,358,374,379,403,411 (जहां धारा 379, 403 तथा 411 में आने वाले मुकदमों में चुरायी गई या अनुचित संपत्ति का मूल्य 50 रू. से अधिक ना हो) 426,428,430,431,447,448,504,506,509 और 510 के अंतर्गत अपराध।

(ख) पशु अनाधिकृत प्रवेश अधिनियम 1871 की धारा 24 और 26 के अंतर्गत अपराध;

(ग) युनाइटेड प्राविंसस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्रायमरी एजुकेशन एक्ट 1926 की धारा 10 (1) के अंतर्गत अपराध;

(घ) सार्वजनिक जूआखरी अधिनियम 1867 की धारा 3,4,7 और 13 के अंतर्गत अपराध;

(ङ) उक्त कानूनों अथवा किसी अन्य कानून के अंतर्गत कोई ऐसा अन्य अपराध जिस राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके न्याय पंचायत द्वारा संज्ञान लिया जाना घोषित करें।

धारा	अपराध	राजा
140	किसी नाविक, सैनिक या वायुसैनिक के वस्त्र या कोई निशान धारण करना, इस इरादे से यह विश्वास किया जा सकता है कि वह एक ऐसा सैनिक, नाविक, वायुसैनिक है।	3 माह कैद या 500 रू. जुर्माना या दोनों।
160	मारपीट करना	एक माह कैद या 100 रू. जुर्माना या दोनों।
172	सम्मन या किसी लोक सेवक द्वारा की जा रही कार्यवाही से भागना।	1 माह साधारण कैद या 500 रू. जुर्माना या दोनो।
174	किसी निश्चित स्थान पर स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने के वैधानिक आदेश का पालन ना करना अथवा वहां से बिना किसी अधिकार के चले जाना	1 माह साधारण कैद या 500 रू. जुर्माना या दोनो।

[131] धारा – 52 उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947

179	राच कहने के लिये वैधानिक रूप रो बाध्य होना या जवाब देने रो इंकार करना	6 माह राधारण कैद या 1000 रू. जुर्माना या दोनो
269	जानबूझकर ऐरा कृत्य करना जिरारो ऐरी किरी रांक्रमित बीमारी का प्ररार हो, जो जीवन हेतु खतरनाक हो	6 माह की कैद या जुर्माना या दोनो
277	रार्वजनिक जलस्रोत अथवा रांरक्षित जलस्रोत पानी को प्रदूषित करना	3 माह कैद या 500 रू. जुर्माना या दोनो
283	बाधा उत्पन्न करना, उरो नुक्रान पहुचाना, किरी भी रार्वजनिक ढ़ंग अथवा नाविक विद्या के माध्यम रो	200 रू. जुर्माना
285	अग्नि या ज्वलनशील वरतु रो छेड़छाड़ जिरारो किरी व्यक्ति के जीवन को खतरा हो	6 माह कैद या 1000 रू. जुर्माना या दोनो
289	अपने रवामित्व मे किरी जानवर को रांभाल कर नहीं रखना जिरारो किरी अन्य व्यक्ति के जीवन को खतरा उत्पन्न हो या गंभीर चोट पहुंचे।	6 माह कैद या 1000 रू. जुर्माना या दोनो
290	रार्वजनिक रूप रो शांति भंग करना	200 रू. जुर्माना
294	अश्लील गायन	3 माह कैद या जुर्माना या दोनो
324	खतरनाक हथियार या राधन रो जानबूझकर नुक्रान पहुंचाना	3 साल कैद या जुर्माना या दोनो
334	गंभीर और खतरनाक आघात, जबकि उत्तेजना देने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किरी अन्य को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था	1 माह कैद या जुर्माना या दोनो
341	किरी व्यक्ति को गलत ढंग रो नियंत्रण में रखना	1 माह का साधारण कैद या 500 रू. जुर्माना या दोनो
352	गंभीर रूप रो उत्तेजित किए जाने के अतिरिक्त यदि आपराधिक हमला किया जाए	3 माह कैद या 500 रू. जुर्माना या दोनो
357	किरी व्यक्ति को कैद में रखने हेतु गलत ढंग रो आपराधिक हमला	1 वर्ष साधारण कैद या 1000 रू. जुर्माना या दोनो

358	गंभीर उत्तेजना के कारण आपराधिक हमला	1 माह साधारण कैद या 200 रू. जुर्माना या दोनो
374	अवैधानिक अनिवार्य श्रम	1 वर्ष कैद या जुर्माना या दोनो
379	चोरी	3 वर्ष कैद या जुर्माना या दोनो
403	स्वयं के उपयोग हेतु बल संपत्ति का गलत उपयोग, या स्वयं के उपयोग हेतु बदलना	2 वर्ष कैद या जुर्माना या दोनो
411	चुरायी हुई संपत्ति को जानबूझकर प्राप्त करना	3 वर्ष कैद या जुर्माना या दोनो
426	शरारत करना	3 माह कैद या जुर्माना या दोनो
428	10 रू. से अधिक मूल्य के किसी जानवर को मारना, जहर देना, अंग काटना या उसे अनुपयोगी बनाना	2 वर्ष कैद या जुर्माना या दोनो
430	कृषि उपयोग हेतु जल में शरारत पूर्वक कमी लाना या बाधा उत्पन्न करना	5 वर्ष कैद या जुर्माना या दोनो
431	किसी सार्वजनिक मार्ग, सेतु, जल परिवहन नदी या जलपरिवहन के चैनल को नुकसान पहुंचाना या उसे संपत्ति ले जाने या आवागमन हेतु असुरक्षित करना	5 वर्ष कैद या जुर्माना या दोनो
447	आपराधिक घुसपैठ	3 माह कैद या 500 रू. जुर्माना जुर्माना या दोनो
448	घर में घुसपैठ	1 वर्ष कैद या 1000 रू. जुर्माना या दोनो
504	जानबूझकर शांति भंग करना	2 वर्ष कैद या जुर्माना या दोनो
506	आपराधिक धमकी	2 वर्ष कैद या जुर्माना या दोनो
509	किसी महिला की शालीनता भंग करना या उसे अपमानित करने हेतु अपशब्द कहना	1 वर्ष साधारण कैद या जुर्माना या दोनो
510	नशे में किसी सार्वजनिक स्थान पर होना और किसी व्यक्ति को परेशान करना	24 घंटे की साधारण कैद या 10रू जुर्माना या दोनों

Notes

Notes

सीएचआरआई के कार्यक्रम

सी.एच.आर.आई. का आधार यह मान्यता है कि, मानवाधिकार, सच्चा लोकतंत्र और विकास लोगों के जीवन में तभी चरितार्थ होंगे जब कॉमनवेल्थ और इसके सदस्य देशों में जवाबदेही और भागीदारी के ऊंचे मानदंड और सक्रिय व्यवस्थाएं होंगी। इसलिए और साथ ही एक व्यापक मानवाधिकार पैरवी कार्यक्रम के रूप में सी.एच.आर.आई. शोध, प्रकाशनों, कार्यशालाओं, सूचना प्रसार तथा पैरवी कर्म के ज़रिए सूचना तक पहुंच और न्याय तक पहुंच की पैरवी करता है।

मानवाधिकारों की पैरवी : सी.एच.आर.आई. मानवाधिकारों की पैरवी के लिए आधिकारिक कॉमनवेल्थ संस्थाओं और सदस्य सरकारों को नियमित रूप से अपने दस्तावेज़ सौंपता है। सी.एच.आर.आई. समय–समय पर तथ्यान्वेषी मिशन गठित करता है और 1995 के बाद नाइजीरिया, ज़ांबिया, फिजी द्वीप समूह और सियरा लियोन में मिशन भेज चुका है। सी.एच.आर.आई. कॉमनवेल्थ मानवाधिकार नेटवर्क में समन्वय बनाने का काम भी करता है। यह नेटवर्क मानवाधिकारों की पैरवी के लिए सामूहिक शक्ति निर्मित करने हेतु विविध समूहों को एक मंच पर लाता है। सी.एच.आर.आई. की मीडिया यूनिट सुनिश्चित करती है कि मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दे जन चेतना का अंग बनें।

सूचना तक पहुंच

सूचना का अधिकार: सी.एच.आर.आई. नागरिक समाज और सरकारों को कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करता है, एक मजबूत कानून के समर्थन में तकनीकी विशेषज्ञता के केन्द्र के रूप में काम करता है और भागीदारों को अच्छे व्यवहारों को क्रियान्वित करने में सहयोग देता है। सी.एच.आर.आई. सरकार और नागरिक समाज की क्षमता निर्माण और साथ ही नीति निर्माताओं के साथ पैरवी करता हुआ स्थानीय समूहों और अधिकारियों के साथ सहभागिता में काम करता है। सी.एच.आर.आई. दक्षिण एशिया में सक्रिय है। हाल ही में, इसने भारत में एक राष्ट्रीय कानून के लिए चलाए गए सफल अभियान को समर्थन दिया है। सी.एच.आर.आई. अफ्रीका में कानूनी प्रारूप लेखन में समर्थन और अन्य सहयोग देता है; प्रशांत क्षेत्र में यह सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करने वाले कानून में दिलचस्पी पैदा करने के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करता है।

संविधानवाद: सी.एच.आर.आई. की मान्यता है कि, संविधान लोगों द्वारा बनाए और अपनाए जाने चाहिए और उसने एक परामर्शपरक प्रक्रिया के जरिए संविधान बनाने और उनकी समीक्षा करने के लिए दिशानिर्देश विकसित किए हैं। सी.एच.आर.आई. जन शिक्षण के जरिए संवैधानिक अधिकारों के ज्ञान को बढ़ावा देता है और इसने कॉमनवेल्थ संसदीय एसोसिएशन के लिए वेब–आधारित मानवाधिकार मॉड्यूल विकसित किया है। चुनावों से पहले सी.एच.आर.आई. ने चुनावों की निगरानी करने, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को उम्मीदवार बनाने का विरोध करने, मतदाताओं को शिक्षित करने और प्रतिनिधियों के कार्य–प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए नागरिक समूहों के नेटवर्क निर्मित किए हैं।

न्याय तक पहुंच

पुलिस सुधार: बहुत सारे देशों में पुलिस को नागरिकों के अधिकारों के रखवालों की बजाय राज्य के एक आक्रामक औजार के रूप में देखा जाता है और इसके परिणामस्वरूप व्यापक पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तथा लोगों को न्याय से वंचित रखा जाता है। सीएचआरआई व्यवस्था में सुधारों को बढ़ावा देता है जिससे कि, पुलिस वर्तमान शासन व्यवस्था के उपकरण की बजाय कानून के शासन को बरकरार रखने वाली संस्था के रूप में काम करे। भारत में सीएचआरआई के कार्यक्रमों का लक्ष्य पुलिस सुधारों के लिए जन समर्थन जुटाना है। पूर्वी अफ्रीका और घाना में सी.एच.आर.आई. पुलिस की जवाबदेही से संबंधित मुद्दों और राजनीतिक हस्तक्षेप की जांच–पड़ताल कर रहा है।

जेल सुधार: जेलों की बंद प्रकृति उन्हें मानवाधिकारों के उल्लंघनों का मुख्य केन्द्र बना देती है। सी.एच.आर.आई. का उद्देश्य है कि लगभग निष्क्रिय पड़ी दौरा व्यवस्था को फिर से सक्रिय बना कर जेलों को सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खोला जाए।

न्यायिक संगोष्ठियां: इंटरराइट्स (INTERRIGHTS) की सहभागिता में सी.एच.आर.आई. ने न्याय तक पहुंच, विशेषकर समुदाय के सीमांत वर्गों के लिए, से संबंधित मुद्दों पर दक्षिण एशिया में न्यायाधीशों के लिए संगोष्ठियों की एक श्रृंखला आयोजित की है।

भारत में पंचायती राज संस्थाएं साधारण लोगों की उनके अपने शासन में भागीदारी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए सरकार को विकेन्द्रित करने का देश में विकसित हुआ एक प्रयास है। 1992 में भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए 73वें संविधान संशोधन से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इसके परिणामस्वरुप ग्रामीण इलाकों में शासन का विकेन्द्रीकरण हुआ।

पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीणों को ग्राम नियोजन प्रक्रियाओं में भागीदारी करने, सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं में शामिल होने का एक व्यावहारिक अवसर देती है। साथ ही वे उन्हें अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से सीधे संवाद–संपर्क करने का मौका भी देती है और इस तरह वे सुनिश्चित कर सकते है कि, उनके हितों को प्रभावी ढ़ंग से पूरा किया जा रहा है और उनके पैसे को सही तरीके से खर्च।

इस संदर्भ में सूचना का अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है कि पंचायती राज संस्थाएँ भागीदारी को बढ़ाने और जवाबदेह सरकार को संस्थापित करने के अपने लक्ष्यों को ज्यादा प्रभावी तरीके से हासिल करें। पंचायत संस्थाओं में नागरिकों की भागीदारी तब अधिक सार्थक होगी जब लोगों के पास पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के लिए सूचनाएँ होंगी और वे, निर्णय प्रक्रियाओं में अफवाहों या आधे सच के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक तथ्यों के आधार पर भाग लेंगें।

आशा है कि सूचना हासिल करने के लिए इन कानूनों का स्वयं उपयोग करने के इच्छुक नागरिकों के लिए इन प्रावधानों का संकलन एक उपयोगी स्रोत पुस्तिका का काम करेगा।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव
बी–117, प्रथम तल, सर्वोदय एन्क्लेव
नई दिल्ली–110 017, भारत
फोनः +91–11–2685–0523, 2686–4678
फैक्सः +91–11–2686–4688
ईमेलः chriall@nda.vsnl.net.in
वेबसइटः www.humanrightsinitiative.org

उत्तर प्रदेश वॉलेण्टरी एक्शन नेटवर्क
10 सत्यलोक कालोनी, मोहिबुलापुर, मढिआओ,
लखनऊ - 226021
फोन/फैक्स : 0522-2361563, 2732267
ईमेल : info@upvan.org
www.upvan.org